Con. 3. VII. 33. 49
250

अंक 7
संख्या 33

बुधवार,
5 जनवरी
सन् 1949 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

अध्यक्ष का पत्र..... 2211-2212

भारत शासन अधिनियम (संशोधक) विधेयक..... 2212-2283

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार, 5 जनवरी, सन् 1949 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली, में प्रातः 10 बजे उपाध्यक्ष महोदय (डॉक्टर एच.सी. मुकर्जी) की अध्यक्षता में समवेत् हुई।

अध्यक्ष का पत्र

उपाध्यक्ष (डॉ. एच.सी. मुकर्जी): सभा का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मैं एक पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो कि मुझे कल शाम अध्यक्ष महोदय से प्राप्त हुआ था। उसमें कहा गया है:

"मैं आप के पत्र के लिये धन्यवाद देता हूं जिसमें कि आपकी तथा सभा की ओर से मुझे मौसम की बधाई दी गई है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस सद्भावना से मुझे कितनी प्रसन्नता हुई है। मुझे इसका खेद है कि वर्तमान अधिवेशन के आखिरी कुछ दिनों के लिये भी मैं उपस्थित न हो सका। मैं पहली तारीख को यहां से रवाना होना चाहता था किन्तु 28 तारीख को बुखार तथा बहुत खांसी हो जाने के कारण मैं न आ सका।"

इसके आगे वे कहते हैं:

"मुझे आशा है कि इस स्थिति में उपस्थित न हो सकने के कारण सभा मुझे क्षमा करेगी। मैं अच्छा होने के लिए यथासम्भव प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु कई महीनों से मेरे दिन बुरे कटे हैं। मौसम के कुछ गरम और अच्छा होने पर मुझे आशा है कि मैं स्वास्थ्य लाभ करूंगा जैसा कि मैं सभी गर्मियों में करता हूं।"

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[उपाध्यक्ष]

सभा की अनुमति से मैं इस पत्र का यह उत्तर देना चाहता हूं कि हमें आशा है कि वे अच्छे ही न हो जायेंगे बल्कि पूर्णतया अच्छे हो जायेंगे और मई में जब हम समवेत् होंगे तो वे सभा के कार्य का संचालन करेंगे।

अब हम विषय (2) अर्थात् उस प्रस्ताव पर आते हैं जिसे माननीय सरदार पटेल उपस्थित करेंगे।

भारत शासन अधिनियम (संशोधक) विधेयक

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"भारत शासन अधिनियम सन् 1935 ई. के संशोधक विधेयक पर विचार-विमर्श किया जाये।"

सभा के सम्मुख एक समुचित प्रस्ताव है और इसका सम्बन्ध शासन के विभिन्न क्षेत्रों से है। अनुभव से हमें यह ज्ञात हुआ है कि इन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है और जहां तक एक क्षेत्र अर्थात् राज्यों का सम्बन्ध है उनमें पिछले वर्ष जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें कानूनी तौर से स्वीकार करने तथा नियमित करने की आवश्यकता है। सभा इससे परिचित है, कम से कम सभा के पिछले अधिवेशन में जो सदस्य उपस्थित थे वे इससे परिचित हैं कि व्यापार विवाद अधिनियम को प्रयोग में लाने में कुछ अनियमित बातों और कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। व्यापार विवाद अधिनियम के अधीन प्रान्तों ने विवादों के निर्णय के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किये हैं। इन विभिन्न न्यायाधिकरणों ने अपने काम के सिलसिले में कुछ ऐसे निर्णय किये हैं जिनमें एकरूपता नहीं है। कम से कम उनमें सन्निहित सिद्धान्तों में तो एकरूपता नहीं ही है। इससे पेचीदगियां पैदा हो गई हैं और साधारणतया यह सभी की इच्छा है कि इन निर्णयों में सन्निहित सिद्धान्तों के सम्बन्ध में एकरूपता हो। इसलिये सरकार के सामने यह सुझाव रखा गया है कि एक केन्द्रीय न्यायाधिकरण अथवा पुनर्विचार प्राधिकारी की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि इस न्यायाधिकरण के निर्णय

दृष्टान्तों का रूप धारण कर सकें जिनसे प्रान्तीय न्यायाधिकरणों का पथप्रदर्शन हो और उनके निर्णयों में सन्निहित प्रमुख सिद्धान्तों में एकरूपता आ सके। यह एक बात हुई।

दूसरी बात यह है कि हमने प्रान्तीय सरकारों से परामर्श किया और वे बहुत कुछ इसके लिये राजी हो गईं कि फिल्मों के सम्बन्ध में निरीक्षकों का एक केन्द्रीय बोर्ड होना चाहिये। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्राप्त होनी चाहिये और इस उद्देश्य से भी हम इस अधिनियम को एक प्रकार से संशोधित करना चाहते हैं। प्रान्तीय सरकारों तथा फिल्म के व्यवसाइयों, दोनों ने, इस प्रकार के केन्द्रीय बोर्ड का स्वागत किया है जो फिल्मों के समान रूप से निरीक्षण के लिये सिद्धान्त निश्चित करेगा और इसकी व्यवस्था करेगा कि ये सिद्धान्त कार्य रूप में व्यवहार में लाये जाते हैं। आंकड़ों के सम्बन्ध में पूछताछ के बारे में भी हम कुछ वैधानिक कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। इन सभी कारणों से इन विषयों के सम्बन्ध में यह आवश्यक हो गया है कि कार्य-पालन के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त की जाये।

हमने यह अनुभव किया कि औपनिवेशिक विधान-मंडल को उपनिवेश के कानून के द्वारा उपनिवेश के किसी अधिकरण को इस प्रकार के कार्य पालन के प्रकार्य प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये और इसलिये भारत शासन अधिनियम की धारा 126-ए के अधीन एक संशोधन की आवश्यकता समझी गई। किन्तु प्रान्तीय प्रधान मंत्रियों से, जो स्वभावत: अपने विधान-मंडलों की शक्तियों को द्वेष की दृष्टि से देखते हैं और उन शक्तियों में हस्तक्षेप करने से उत्तेजित हो जाते हैं, हमने अधिक परामर्श किया और उन्हीं की सम्मति से एक सीमित संशोधन, जो कुछ विशेष विषयों तक ही सीमित है, उपस्थित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार की औद्योगिक नीति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि केन्द्रीय विधान-मंडल को कई उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में शक्तियां प्राप्त हों। ये शक्तियां सातवीं अनुसूची की सूची 1 की धारा 34 के अधीन प्राप्त हो सकती हैं किन्तु चूंकि इससे सरकार को केवल विकास सम्बन्धी विषयों के बारे में शक्ति प्राप्त होती है इसलिये यह संदेहात्मक है कि इससे केन्द्र को उत्पादन, प्रदाय अथवा वितरण के सम्बन्ध में यही शक्ति प्राप्त होती है अथवा

[माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल]

नहीं। सभा यह समझ सकती है कि बिना इस शक्ति के विकास पर किसी प्रकार का नियंत्रण केवल नाममात्र का ही और प्रभावशून्य होगा। इसलिये विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि संघीय कानून सम्बन्धी सूची में कुछ बातें जोड़ दी जायें किन्तु बाद को प्रान्तीय प्रधान-मंत्रियों से परामर्श करने पर, जिसकी ओर मैं संकेत कर चुका हूं, यह निर्णय किया गया कि विधेयक में जिस प्रबन्ध की कल्पना की गई है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाये और खण्ड 2 के अधीन, जो समवर्त्ती सूची में उपरोक्त रीति से संशोधित किया जायेगा, कुछ ऐसे विषय रख दिये जायें जिनसे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इससे औपनिवेशिक विधान-मंडल को इन उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जायेगी और वह उनके सम्बन्ध में कार्यपालन की शक्ति भी प्रदान कर सकेगा।

अब मैं विधेयक के खण्ड (3) पर आता हूं। भारत शासन अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) के प्रावधानों के कारण इस संशोधन की आवश्यकता समझी जा रही है। उसके अनुसार मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त और बिहार की विधान-परिषद् स्थायी सभाए हैं। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिषदों के एक तिहाई सदस्य तीन वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेंगे। इन प्रावधानों के अधीन संयुक्तप्रान्त में सदस्यों ने पिछले सितम्बर अवकाश ग्रहण करना था और वहां निर्वाचन हो भी चुके हैं किन्तु मद्रास, बम्बई और बिहार में वे मार्च अथवा अप्रैल में होंगे। वहां की सरकारों ने यह विचार किया कि चूंकि विधान के निकट भविष्य ही में प्रयोग मे आने की सम्भावना है। इसलिये उच्च सदन के सदस्यों के अवकाश ग्रहण करने में जो निर्वाचन आवश्यक हो गये हैं वे न किये जाये। इस स्थिति में भारत शासन अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) के अधीन परिषदों के जिन सदस्यों ने अवकाश ग्रहण करना है उनकी पदावधि बढ़ाने के लिये हमने यह आवश्यक समझा है कि शक्ति प्राप्त की जाये।

अब मैं विधेयक के खण्ड (6) पर आता हूं। सभा को यह विदित है कि समाविष्टि संविदाओं के अनुसार, जिन पर नरेशों ने हस्ताक्षर किये हैं, उड़ीसा के पच्चीस राज्यों, मध्यप्रान्त के पन्द्रह राज्यों, मद्रास के तीन राज्यों, पैंतीस पूर्ण

शक्ति प्राप्त राज्यों, बम्बई के एक सौ पचास अर्ध-अधिकार प्राप्त राज्यों और पूर्वी पंजाब के तीन राज्यों का अधिकार-क्षेत्र भारत सरकार को सौंप दिया गया है और उसने केन्द्रीय विधान-मण्डल द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त-प्रान्तीय-अधिकार-क्षेत्र-अधिनियम के अधीन यह शक्ति प्रान्तीय सरकारों को सौंप दी है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकार में ले लिये हैं और उन्हें केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के अधीन कर दिया है जिन्हें चीफ कमिश्नरों का पद दिया गया है और ये राज्य अब चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों के नाम से कहे जाते हैं। इस श्रेणी में सर्वप्रथम पूर्वी पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों के राज्य आते हैं। उनकी संख्या लगभग पन्द्रह से बीस तक है। ये छोटे-छोटे राज्य हैं और इनको एक साथ मिला दिया गया है। उनकी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें अपने हाथ में ले लिया और उन्हें चीफ कमिश्नर के एक प्रान्त में परिणत कर दिया। इस प्रकार जो अन्य राज्य अधिकार में ले लिये गये वे कच्छ, बिलासपुर और मयूरभंज के राज्य हैं जो उड़ीसा को सौंप दिये गये। ये चीफ कमिश्नर के प्रान्तों में परिणत कर दिये गये हैं। कच्छ के सम्बन्ध में यह उसकी विशेष स्थिति के कारण किया गया। उसकी सीमा का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान से मिला हुआ है तथा वह एक अविकसित क्षेत्र है जिसकी बहुत काल तक उपेक्षा हुई है। वहां न कोई रेल है और न कोई आधुनिक यातायात के साधन और न सड़कें आदि हैं। यदि आप एक सहस्र वर्ष प्राचीन कोई मध्यकालीन राज्य देखना चाहें तो आपको भारत में कच्छ का ही राज्य मिलेगा। किन्तु इस राज्य में एक बहुत ही सुन्दर बन्दरगाह है जिसका विकास करने की आवश्यकता है और भारत सरकार का विचार है कि उस पर बहुत-सा धन खर्च किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कच्छ में छोटी रेल की पटरियां बिछाई जायेंगी जिससे दीसा से उसका सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा। इसके अतिरिक्त वीरामगाम तक बड़ी रेल की पटरियां बिछाने का प्रस्ताव है। इस स्थिति में और इसलिये भी कि उसकी सीमा का बहुत बड़ा भाग दूसरे उपनिवेश से मिला हुआ है, यह आवश्यक समझा गया कि इस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया जाये और इसे एक पृथक् चीफ कमिश्नर के प्रान्त में परिणत कर दिया जाये।

इन प्रान्तों के शासन के सम्बन्ध में कानूनी स्थिति यह है कि केन्द्रीय विधान-सभा द्वारा सन् 1947 में स्वीकृत अतिरिक्त प्रान्तीय अधिकार-क्षेत्र

[माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल]

अधिनियम की धारा 4 के अधीन चीफ कमिश्नर के नाम से जारी की हुई अधिसूचना में घोषित करके कानून बनाये जाते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा प्रान्तीय सरकारों द्वारा शासन चलाया जाता है। यह स्पष्ट है कि शासन के एकीकरण के जिस उद्देश्य से ये संविदाएं की गई हैं वह कुछ अंश में पूरा हो गया है। केन्द्रीय विधान-मण्डल के अथवा प्रान्तीय विधान-मण्डलों के कानून उन राज्यों में प्रयोग में नहीं लाये जा सकते जो समाविष्ट हो गये हैं अथवा चीफ कमिश्नरों द्वारा शासित हैं। इन राज्यों का कोष उपनिवेश के कोष का अथवा सम्बन्धित प्रान्त के कोष का भाग नहीं है और उसे फिलहाल पृथक् रखना होगा। इसलिये स्वभावत: हमने इस पर विचार किया कि शासन का पूर्ण रूप से किस प्रकार एकीकरण हो सकता है क्योंकि नरेशों ने जिन समाविष्टि-संविदाओं पर हस्ताक्षर किये हैं और जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार किया है उनका उद्देश्य यही है। पहले यह विचार किया गया कि भारत शासन अधिनियम की धारा 290 के अधीन आज्ञा देकर तथा इस प्रकार सीमाओं में परिवर्तन करके तथा क्षेत्रों को बढ़ाकर यह किया जा सकता है किन्तु धारा 290 में समाविष्ट राज्य का कोई उल्लेख नहीं है और इसलिये यह बहुत संदेहास्पद है कि उस धारा के अधीन गवर्नर जनरल आज्ञा देकर समाविष्ट राज्यों के प्रदेश को प्रान्तों से मिलाने का आदेश दे सकता है अथवा नहीं। कई कारणों से प्रेरित होकर ये समाविष्टि-संविदाएं की गईं और अब इन राज्यों के समावेश में विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान रखा जाये जिससे उन राज्यों का शासन चलाया जा सके जिनके नरेशों ने उन्हें गवर्नर के प्रान्त का अंग बना कर अथवा चीफ कमिश्नर का प्रान्त बना कर उनका अधिकार-क्षेत्र औपनिवेशिक सरकार को सौंप दिया है। राजनैतिक, वैधानिक तथा शासन-सम्बन्धी कारणों से इस प्रकार का प्रावधान आवश्यक हो गया है। राजनैतिक दृष्टि से इस से समाविष्टि का कार्य शीघ्र ही सम्पन्न हो जायेगा और इन सभी क्षेत्रों को उन प्रान्तों के विधान-मण्डलों में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जिनमें वे समाविष्ट हो गये हैं। इस समय यद्यपि ये राज्य समाविष्ट हो चुके हैं किन्तु कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके अधीन ये सम्बन्धित प्रान्तों में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं। वैधानिक दृष्टि से, इस

प्रावधान के फलस्वरूप उपनिवेश तथा प्रान्तों के विधान-मण्डल इन क्षेत्रों के लिये कानून बना सकेंगे। शासन की दृष्टि से तो पूर्ण समाविष्टि का बहुत महत्त्व है। विधेयक में किसी प्रान्त और समाविष्ट होने वाले निकटवर्ती राज्य के बीच प्रदेशों के समायोजन के सम्बन्ध में भी प्रावधान है। शासन के लिये इस प्रकार का समायोजन लाभप्रद अथवा आवश्यक होने पर भी वह इस समय नहीं किया जा सकता। मैं इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट करता हूं। पंथ पिप्लोदा नाम के चीफ कमिश्नर के प्रान्त में 1211 गांव हैं। सम्भवत: सभा को यह विदित है। ये गांव एक जगह पर नहीं बल्कि विभिन्न जगहों पर स्थित हैं और उनके शासन की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा सकता। इस क्षेत्र का यथोचित रूप से शासन नहीं हो सकता और वैधानिक दृष्टि से विभिन्न जगहों में स्थित गांवों का यह छोटा-सा क्षेत्र एक समस्या का रूप धारण कर लेता है जिसे तुरन्त ही हल करना आवश्यक हो जाता है। ये राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण तथा अन्य कारणों से मध्यभारत में ही समाविष्ट किये जा सकते हैं और उसी के साथ इनका शासन किया जा सकता है। वे सब इसी प्रदेश के मध्य में स्थित हैं।

श्रीमान्, मैंने सभा को यथेष्ट रूप से बता दिया है कि सभा के सम्मुख यह प्रस्ताव क्यों उपस्थित किया गया है। उसमें, विशेषतया खण्ड (6) में बहुत से संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। संशोधनों की एक बहुत लम्बी सूची की सूचना दी गई है परन्तु मेरा यह विचार है कि मैंने यथेष्ट रूप से यह बता दिया है कि किन कारणों से प्रेरित होकर यह विधेयक उपस्थित किया गया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इन संशोधनों पर फिर विचार करेंगे और उनमें से कई को सभा में उपस्थित करना आवश्यक न समझेंगे।

श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र** (उड़ीसा राज्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के विचाराधीन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सामान्य वादानुवाद में भाग लेना चाहता हूं और कुछ ऐसे राज्यों के शासन सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी सारी शक्ति भारत सरकार को सौंप दी है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार कुछ राज्य, जैसे कि वे राज्य जो अब हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हैं,

[श्री युधिष्ठिर मिश्र]

चीफ कमिश्नर के प्रान्त का रूप धारण कर लेंगे और कुछ राज्य जैसे उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के राज्य तथा दक्षिण के राज्य और पुदुकोटा का राज्य निकटवर्ती प्रान्तों के अंगों के रूप में शामिल होंगे। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्यों की समाविष्टि जनवरी सन् 1948 में हुई और तब से ये राज्य उड़ीसा और मध्यप्रान्त के शासन में हैं। नरेशों और भारत सरकार के बीच जो संविदाएं हुईं उन्हीं के फलस्वरूप यह समाविष्टि हुई। राज्यों के लोगों अथवा उनके प्रतिनिधियों का इसमें कोई हाथ नहीं रहा। न उनसे समाविष्टि के सम्बन्ध में कोई परामर्श लिया गया और न उनसे उनके राज्यों के शासन के सम्बन्ध में कोई सम्मति ली गई। उन्हें स्वायत्त शासन के अधिकार से वंचित किया गया है जिसके फलस्वरूप इन राज्यों में बहुत असंतोष है। उड़ीसा के राज्यों का लोकमत, जैसा कि वह अखिल भारतीय राज्य-परिषद् से सम्बद्ध प्रादेशिक परिषद् द्वारा प्रतिध्वनित हुआ है, बिना किसी प्रतिबन्ध के समाविष्टि के पक्ष में नहीं था। उड़ीसा के राज्यों को राजनैतिक, आर्थिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए होने के कारण यह भय था कि नौकरियों, विधान-मण्डल और विकास योजनाओं के सम्बन्ध में उड़ीसा प्रान्त का उन पर प्रभुत्व हो जायेगा और वह उनका शोषण करेगा। इसलिये इन राज्यों और प्रान्त के लिए एक शासन के कुछ प्रतिबन्धों के साथ स्वीकार करना चाहते थे। इसलिये उनके और उड़ीसा प्रान्त के बीच इन प्रतिबन्धों को तय करना आवश्यक था। यह नहीं किया गया और इन राज्यों के लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं किया गया और जो संविदा संपन्न हुई वह केवल भारत सरकार, प्रान्तीय सरकार और राज्यों के नरेशों के बीच हुई। इन राज्यों की बिना किसी प्रतिबन्ध के समाविष्टि के कारण लोगों को कुछ हद तक दासत्व में और उनका भय निराधार नहीं प्रमाणित हुआ है। सभी प्रकार से उनको पराजित लोगों के समान समझा जाता है और अब इन राज्यों में नरेश के राज के स्थान पर प्राधिकारियों का राज है। निस्संदेह प्रत्येक राज्य में एक परामर्शदातृ-समिति है परन्तु इन समितियों के परामर्श और सुझावों पर कभी भी गम्भीरता से विचार नहीं किया जाता। जहां तक उड़ीसा के राज्यों का सम्बन्ध है वहां दो कार्यपालक पार्षद्

(इक्जीक्यूटिव कांसिलर) हैं परन्तु मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वे केवल कोतल के घोड़े हैं और उनसे महत्त्वपूर्ण तथा सारपर्ण विषयों के सम्बन्ध में कभी परामर्श नहीं लिया जाता।

श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब उड़ीसा की सरकार ने नरेशों की निजी सम्पत्ति पर विचार किया और नरेशों के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये तो इन कार्यपालक पार्षदों से किसी समय भी परामर्श नहीं लिया गया और इस संपत्ति के सम्बन्ध में लोगों का जो मत था उस पर विचार ही नहीं किया गया।

श्रीमान्, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों की मांग पूरी करने के लिये प्रान्तीय सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं किन्तु समाविष्टि के उपरान्त यत्र तत्र जो कुशासन हुआ है उसको दृष्टि में रखते हुए उनका कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाता।

श्रीमान्, दुराचार बढ़ गया है और पहले से अधिक शोषण होने लगा है। प्रत्येक गांव शराब की दुकान में परिणत हो गया है और शराबखोरी बढ़ गई है। राज्य के अस्पतालों के लिये औषधि आदि के लिये जो अनुदान मिलता था उसमें कमी कर दी गई है। राज्य के कर्मचारियों का विशेषकर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का आधारभूत वेतन कम कर दिया गया है और प्रारम्भिक पाठशालाएं जिनका प्रबन्ध उनके राज्य की सरकार करती थी, सहायता पाने वाले पाठशाला बना दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप इन प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों को न मंहगाई का भत्ता मिलेगा और न प्राविडेंट फण्ड की सुविधा। कुछ राज्यों में सड़क बनाने का काम भी रोक दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, नरेशों को निजी पूंजी प्रदान की गई है उसके साथ ही उनके सम्बन्धियों को कुछ भत्ता देने का प्रस्ताव है। राज्यों के नरेशों को तथा अथवा उनके सम्बन्धियों को अधिक भत्ता देने का प्रस्ताव लोगों की इच्छा के विरुद्ध है और कोई कारण नहीं है कि संविदा के अधीन उनको जो कुछ दिया गया है उससे अधिक धन उन लोगों को दिया जाये। किन्तु, श्रीमान्, लोगों की इच्छा न होते हुए भी प्रान्तीय सरकार उनके सम्बन्ध में विचार करने के लिये

[श्री युधिष्ठिर मिश्र]

तैयार है। मैं कह नहीं सकता कि उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या किया गया है। श्रीमान्, राज्यों के समाविष्ट होने के पूर्व तथा उसके उपरान्त प्रान्तीय सरकार ने लोगों को कुछ आश्वासन दिये थे और यह कहा था कि प्रान्तीय सरकार वेतन में विशेषकर कम वेतन पाने वाले राज्यों के कर्मचारियों के वेतन में कोई कमी नहीं करेगी और लोगों की शिक्षा की तथा अन्य प्रकार की जो सुविधाएं प्राप्त थीं उन्हें प्रान्तीय सरकार किसी प्रकार कम न होने देगी किन्तु कई मामलों में उसका आश्वासन मिथ्या प्रमाणित हुआ है और उसने समाविष्टि के पूर्व लोगों को जो वचन दिया था उसे पूरा नहीं किया है।

श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रान्तीय सरकार को विकास-कार्य को पहले आरम्भ करने के लिये आदेश दे और ऐसा प्रबन्ध करे कि लोगों को जीवनोपयोगी थोड़ी बहुत जो सुविधाएं प्राप्त थीं उनसे वे वंचित न किया जायें। इसलिये मैं तो यह पसंद करता कि प्रान्तीय सरकार को शासन सौंपने के पूर्व, जो कि इस विधेयक का उद्देश्य है, भारत सरकार को राज्यों के वर्तमान शासन की जांच करा लेनी चाहिये थी और इस सम्बन्ध में निश्चय कर लेना चाहिये था कि राज्यों के लोगों के किसी वर्ग के हितों के विरुद्ध कुछ न किया जायेगा।

श्रीमान्, संशोधक विधेयक में एक प्रावधान इस प्रकार का है कि इसके पूर्व कि गवर्नर जनरल आज्ञा देंगे राज्यों को किसी प्रान्त का अंग बनाने के सम्बन्ध में उस प्रान्त की सरकार से परामर्श लिया जायेगा किन्तु इस सम्बन्ध में लोगों के विचार ज्ञात करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। जब राज्यों के लोगों के भाग्य का ही निर्णय होने जा रहा है तो यह उचित ही होगा कि उनसे परामर्श लिया जाय। यदि भारत सरकार के लिये इस सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है तो आज्ञा देने के पूर्व कम से कम राज्यों के लोकप्रिय संगठन से इस सम्बन्ध में परामर्श लिया जाये कि ये राज्य किस प्रकार प्रान्त के अंग बनाये जायेंगे।

श्रीमान्, मेरे विचार से विधान के स्वीकार होने और प्रयोग में आने तक के लिये राज्यों के प्रतिनिधियों से उनके सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में परामर्श लिया जाय और इन प्रतिनिधियों के परामर्श के अनुसार शासन चलाया जाये।

श्रीमान्, यदि मेरे सुझाव के अनुसार राज्यों के लोगों को कोई वैधानिक प्रत्याभूतियां नहीं दी जा सकती हैं तो प्रस्तावित धारा 290ए के अधीन आज्ञा देने के पूर्व गवर्नर जनरल को प्रान्त को इस प्रकार का आदेश देना चाहिए कि कुछ विशेष प्रश्नों के सम्बन्ध में उसे राज्यों के प्रतिनिधियों के परामर्श के अनुसार कार्य करना चाहिये।

श्री रामचन्द्र उपाध्याय (मत्स्य संघ): सभापति जी, मैं एक रियासती जनता के नुमाइन्दे के नाते इस ऐमेंडिंग एक्ट का स्वागत करता हूं, विशेष रूप से दफा 6 का। जो रियासत की जनता के फायदे के लिये तरमीम इस वक्त की जा रही है उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं श्री युधिष्ठिर मिश्र ने जो कुछ अपने विचार जाहिर किये हैं उनके खिलाफ कहना चाहता हूं। मैं तो समझता हूं यह हमारे बहुत फायदे की चीज है। इस समय यदि हम अपनी छोटी मोटी बातों की तरफ ध्यान दे कर चलेंगे तो हम इससे कुछ लाभ न उठा सकेंगे।

मैं देखता हूं कि थोड़े ही दिनों पहले रियासतों का मामला हिन्दुस्तान में इतना कठिन हो रहा था और विदेशी हुकूमत जब यहां से गई थी उस वक्त विदेशी लोग यह समझते थे कि हिन्दुस्तान रियासतों के बोझ से दब कर खत्म हो जायेगा। मगर हिन्दुस्तान की हुकूमत के लिये यह बड़ी मुबारकबादी का विषय है कि आज हमको दफा 290ए जैसी एक धारा आज ही इंडिया एक्ट के अन्दर बनानी पड़ी। हमने एक साल में इतनी तरक्की कर ली है। और जो कुछ झगड़े अभी रियासतों के बाकी हैं उन्हें भी बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। सबसे विशेष बात इस एक्ट में यह है कि:

> "Where full and exclusive authority, jurisdiction and powers for and in relation to the Government of the Indian State of any group of such States are for the time being exercisable by the Dominion Government the Governor General may by Order direct:–"

[श्री रामचन्द्र उपाध्याय]

रियासती जनता को रियासतों के मामलों को खत्म कराने का सबसे सीधा तरीका यह है कि सब राजाओं से उनके समस्त अधिकार इंडिया गवर्नमेंट को सौंपवा दें। और जैसा सरदार पटेल ने बतलाया कि बहुत-सी रियासतें इस पर रजामन्द हो गई हैं लेकिन बहुत-सी ऐसी हैं जो रजामन्द नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हैदराबाद के खत्म हो जाने के बाद कोई राजा ऐसा नहीं होगा कि इस शर्त के मानने में अड़चन डाल सके। लेकिन हमारे दूसरी तरह के राजा महाराजा वहां पैदा हो रहे हैं और वे हैं हमारी रियासतों के सार्वजनिक कार्यकर्ता। आज और इससे पहले भी भोपाल की बाबत पढ़ कर दु:ख हुआ है। रियासत के बहुत से कार्यकर्ता और नेता यह समझते हैं कि हम छोटी-छोटी रियासतों को अलग रखकर अपना-अपना नेतृत्व कायम रख सकेंगे। लेकिन वह उनकी बड़ी सख्त गलती है और वे तमाम हिन्दुस्तान को एक बनाने में रुकावट डाल रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि भोपाल जैसी एक छोटी रियासत को वे समझते हैं कि हम अलग रख सकते हैं और चतुर नारायण मालवीय जैसे कासिम रिजवी यह समझते हैं कि एक छोटी रियासत को अलग रख कर हम नेता बन सकते हैं। इसी तरह टेहरी की बाबत भी मैंने स्टेटमेंट देखा था। अगर हम हिन्दुस्तान की तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को अपने दिमाग साफ कर लेने चाहियें। जैसा सरदार पटेल कह चुके हैं और हम भी देखते हैं कि अब राजा हिन्दुस्तान की तरक्की के बीच खड़े नहीं हो सकते। तब हम नई रुकावटें डालें। यह बड़े अफसोस की बात है। इसी लिये मैं कहता हूं कि यदि हम देश की तरक्की चाहते हैं तो हमें अपना दृष्टिकोण साफ कर लेना चाहिये।

दूसरी बात इस दफा में है कि रियासतों को चीफ कमिश्नर्स प्राविन्सेज बनाना। यह बात ठीक है। हम को रियासतों को हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में मिलाने के पहले चीफ कमिश्नर्स प्राविन्स या गवर्नर्स प्राविन्स बनाना पड़ेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि पहले हमारी राय ली जाये। लेकिन अगर ऐसा करने लगें तो देश की तरक्की काफी दिनों तक रुक जायेगी। अगर प्लेबिसाइट करते हैं या रिफरेन्डम करते हैं तो मैं समझता हूं कि रियासतों की जनता इतनी पिछड़ी हुई है कि वह इस मामले को अच्छी तरह समझ नहीं सकती और इसको ठीक ढंग से तय नहीं कर सकती। हिन्दुस्तान की तरक्की इतनी जल्दी हो रही है कि अगर

हम रियासत वाले इस पर रिफरेन्डम करने लगें तो और भी देर लगेगी। तो ऐसी बातों की तरफ हमें ख्याल नहीं करना चाहिये। कांग्रेस सभी रियासतों में है और उनकी इच्छानुसार ही रियासतों को मिला लिया जाये तो मैं समझता हूं काफी होगा। ज्यादा करने से गड़बड़ होने की आशंका है।

श्री युधिष्ठिर मिश्र ने बताया है कि बहुत-सी स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह चल रहा है कि इसकी हालत देखते हुए यह ख्याल होता है कि यहां जो कुछ हमारे मुताल्लिक किया जा रहा है उससे तो वे पहले अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि पहले जब छोटी-छोटी रियासतें थीं वहीं उनके हाई कोर्ट होते थे वहीं एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, इससे हमें आसानी हुआ करती थी। जो तकलीफ होती थी उसको हम जा कर फौरन खत्म कर सकते थे। लेकिन अब हम किसी बड़े सूबे में मिल जाने से ऐसी चीज न कर सकेंगे। हम इसको बहुत बड़ी बात मानते हैं। लेकिन अब हिन्दुस्तान की तरक्की के लिये, देश की उन्नति के लिये, हमको अपने छोटे-छोटे फायदे और नुकसान को छोड़ देना पड़ेगा। हमको यह देखना पड़ेगा कि छः महीने बाद हमारा भला किसमें है। थोड़े दिनों के फायदे के बजाय लम्बा फायदा देखना चाहिये और इसी में हमारी व देश की भलाई है।

***उपाध्यक्षः** आप घंटी की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री रामचन्द्र उपाध्यायः यह आज मुमकिन है कि हमको किसी प्राविंस में मिल जाने से कुछ दिनों के लिए तकलीफ हो। आज भरतपुर या धौलपुर के रहने वाले यदि यू. पी. में मिल जायें तो लखनऊ या इलाहाबाद जाना पड़ेगा। तो क्या हम नहीं देखते हैं कि सूबे के दूसरे लोग भी काफी दूर चल कर वहां जाते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी जो हमारी तकलीफें हैं उनको छोड़कर हमें यह देखना पड़ेगा कि भविष्य किसमें ज्यादा उज्ज्वल है और किसमें हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।

इसलिये जो एक दफा 6 इस तरह बनाई गई है मैं समझता हूं यह बिल्कुल उचित है और उसको लोगों को बिला किसी ऐमेंडमेंट के मंजूर कर लेना चाहिये और अपनी तकलीफों का ख्याल थोड़े दिनों के लिये नहीं करना चाहिये।

***श्री बी. एच. खार्डेकर** (कोल्हापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। वास्तव में इसे उपस्थित करने में कुछ विलम्ब हो गया है।

[श्री बी.एच. खार्डेकर]

कुछ समाविष्ट राज्यों के सम्बन्ध में जो संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है उसका इस विधेयक से निराकरण हो जायेगा। निस्सन्देह इस विधेयक में भी कुछ दोष हैं जिन्हें मैं बाद को बताऊंगा।

श्रीमान्, पहले मैं कुछ सामान्य बातों को बताऊंगा और फिर कुछ विशेष बातों पर आऊंगा। श्रीमान्, आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत से चले गये...

***उपाध्यक्ष:** मेरा यह सुझाव है कि माननीय सदस्य केवल इन खण्डों की ओर संकेत करें वे विभिन्न खण्डों के सम्बन्ध में विशेषतया खण्ड 6 के सम्बन्ध में जो राज्यों ही के बारे में है। सामान्य वादानुवाद में भी भाग ले सकते हैं। इस प्रकार हम इस सभा के समय में बचत कर सकेंगे।

श्री बी. एच. खार्डेकर: जी हां, श्रीमान्, अब मैं विशेष बातों पर आता हूं। श्रीमान्, लगभग ग्यारह महीने हुये कि कुछ राज्य समाविष्ट किये गये थे और चूंकि इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं था इसलिये उन्हें प्रान्तों में समाविष्ट नहीं किया जा सका। बहुत काल तक जो दोष था उसका इस विधेयक से निराकरम हो जाता है। यह दोष किस प्रकार का था इसका मैं कुछ ही समय लेकर वर्णन करूंगा। इन दस या ग्यारह महीनों में प्रशासकों का स्वेच्छाचारी शासन था। इससे प्रान्तीय सरकारों को जो असुविधा हुई वह तो हुई ही परन्तु इससे सुविधा कुछ भी नहीं हुई। मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूं जो ध्यान देने योग्य है और वह है शिक्षा के सम्बन्ध में। एक राज्य में और सम्भवत: कई राज्यों के पिछले शासन-काल में शिक्षा नि:शुल्क थी। प्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर एम.ए. और एम.एस.सी. कक्षाओं तक शिक्षा नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती थी। समाविष्टि के उपरान्त शुल्क लिया जाने लगा है। किन्तु इसके विपरीत दुर्भाग्य से अध्यापकों को अब भी वही वेतन दिये जा रहे हैं। एक या दो मिनट लेकर मैं प्रशासक के शासन का सामान्य रूप से वर्णन करूंगा। लगभग सभी महत्वपूर्ण जगहों में ये प्रशासक आई.सी.एस. के पुराने लोग हैं। अपने शिक्षालय में हम आई.सी.एस. के किसी आदमी से यह समझते थे कि वह न भारतीय है, न शिष्ट और सेवक। निस्सन्देह आज उनमें से अधिकांश भारतीय हैं किन्तु अन्य विशेषण अभी उसी प्रकार हैं। अधिकांश राज्यों में जो कुछ भी राजनैतिक जीवन था वह एकाएक

समाप्त हो गया। पुराने स्वेच्छाचारी शासक का स्थान—यद्यपि किसी प्रकार का वैधानिक शासन प्रयोग में आने से नरेश स्वेच्छाचारी नहीं रह गये थे—अब नये सरकारी स्वेच्छाचारी शासक ने ले लिया। श्रीमान् मैं संक्षेप में यह बताऊंगा कि एक राज्य में कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दण्ड कार्य-प्रणाली संहिता की धारा 144 स्थायी रूप से लागू है। वहां पक्षपात भी दिखाई देता है। और एक विशेष समूह को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। गिरफ्तारियां हुईं और लोग बिना किसी काल-सीमा के अथवा आठ या नौ महीनों के लिये हिरासत में रखे गये। इसी कारण, श्रीमान्, इस सभा के अधिकांश सदस्यों को जिन्हें वैयक्तिक स्वातंत्र्य से प्रेम था, इसकी बड़ी चिन्ता थी कि अनुच्छेद 15 में 'बिना यथोचित कानूनी कार्यवाही के' शब्द प्रविष्ट किये जायें। कई पत्रों पर जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रशासक की आलोचना की थी अथवा आलोचना करने का प्रयास किया था, प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस सिविल सेवक की भाषा और चाहे जो कुछ हो किन्तु शिष्ट नहीं है। वे ऐसे शब्द प्रयोग में लाते हैं जैसे "मैं आप को गोली मार दूंगा, मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा, मैं आपका, आपके परिवार का तथा आपके बच्चों का देशनिकाला कर दूंगा"। ऐसे असभ्य उत्पीड़क उस सरकार को दुर्भाग्य से बदनाम करते हैं जिसके कि वे प्रतिनिधि हैं। एक उच्च पदाधिकारी केवल नौकरी से नहीं निकाल दिया गया किन्तु उन्हें देशनिकाले की सूचना भी दी गई। वास्तव में वह उच्च पदाधिकारी बहुत प्रतिष्ठित है वह एक प्रान्तीय सरकार का मंत्री रह चुका है और विधान-परिषद् का भी सदस्य था तथा अन्य कई पदों का भी अधिकार उसे प्राप्त था। यदि मैं संसद् की भाषा को ही प्रयोग करना चाहूं और फिर भी सबल भाषा का प्रयोग करूं तो, श्रीमान् मैं यह कहूंगा कि यह शासन काल स्वर्ग का उल्टा है। मैं राज्य विभाग से प्रार्थना करता हूं कि वह ऐसे पदाधिकारियों के आचरण की जांच करवाये। मैं यह जानता हूं कि कुछ राज्यों में 'पागल' मन्त्रिमण्डलों के कारण ऐसे पदाधिकारी आ गये और उनका आना आवश्यक हो गया किन्तु सरकार के प्रतिनिधियों को इन 'पागल' मंत्रिमण्डल से भी आगे बढ़ने का प्रयास न करना चाहिये।

इस विधेयक में एक दोष यह है कि कुछ राज्यों की समाविष्टि के सम्बन्ध में प्रान्तों से तो परामर्श लिया जायेगा परन्तु इन राज्यों के लोगों से परामर्श नहीं लिया जायेगा। आत्मनिर्णय ही वास्तव में जनतंत्र का सार है। यदि आप लोगों को

[श्री बी.एच. खार्डेकर]

इसका निर्णय करने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं कि वे किस प्रान्त को अथवा चीफ कमिश्नर के प्रान्त को चुनें तो आप उन्हें जनतंत्र के अधिकार से ही वंचित कर रहे हैं। और इसी कारण यथोचित समय पर मैं पं. ठाकुरदास भार्गव के संशोधन का समर्थन करूंगा। इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, मैंने उस नीति के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे हैं जिसका भारत सरकार ने समाविष्टि के सम्बन्ध में अनुसरण किया है। भारत का मानचित्र सुन्दर, स्वच्छ तथा स्पष्ट बना देने के लिए राष्ट्र सरदार पटेल का आभारी है। किन्तु समाविष्टि के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई गई है उसमें कुछ दोष रहे हैं और उसके बारे में कुछ भ्रम भी रहा है। भारत सरकार की सुघोषित नीति यही रही है कि राष्ट्र तभी समाविष्ट किया जाये जब कि वहां का नरेश तथा वह लोग यह चाहें। प्रथम तो इस नीति के विरुद्ध मुझे एक सैद्धांतिक आपत्ति करनी है क्योंकि हम यह घोषित कर चुके हैं कि लोग ही सर्वसत्ताधारी हैं। यदि थोड़ी देर के लिए यह माना जाये कि कोई नरेश बड़ी अकड़ वाला है और अपने अधिकारों को नहीं त्यागना चाहता है किन्तु लोग समाविष्टि के पक्ष में हैं, क्योंकि अधिकांश राज्यों में संभवत: यही स्थिति हो, तो इस दिशा में हम क्या करेंगे। हमें कुछ चालें चल कर उसे फुसलाना होगा। यह उचित न होगा। दूसरी बात यह है कि बहुत नरेश एकाएक बहुत ही देशभक्त हो गये हैं और चूंकि उन्हें अपने आर्थिक हितों का अधिक ध्यान है इसलिये उन्होंने यह निश्चय ही किया है कि वे भारतीय संघ के प्रति वफादार रहेंगे। ये लोग जो पहले देश तथा जनसाधारण के शत्रु थे, जो गांधी जी के नाम मात्र से कुछ हो जाते थे जिनको गांधी टोपी देखने मात्र से ही सरदर्द हो जाता था, वे आज एकाएक देशभक्त हो गए हैं और समाविष्टि के लिए सहमत हो गये हैं। सरदार पटेल के इन लोगों के प्रति इस प्रकार के वर्णन से मुझे कोई चिढ़ नहीं है। आखिर राज्य का शासन चलाने के लिए कुछ राजनीतिज्ञता की आवश्यकता होती ही है और यदि किसी बकरे को मारना होता है तो उसे पहले खिलाना-पिलाना पड़ता है। इसलिए जहां कहीं राज्यों का अस्तित्व मिटाना होगा, इन लोगों से कुछ समय के लिए सुखद बातें कहनी होंगी। किन्तु लोगों का क्या होगा? इस सम्बन्ध में मैं बहुत ही स्पष्ट घोषणा चाहता हूं। निस्संदेह, अन्त में सभी राज्य समाप्त हो

जायेंगे। मैं यह नहीं चाहता कि इस देश में कहीं भी पाशविकता और सामन्तवाद के अवशेष रहें। किन्तु समाविष्टि का कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिये कि जब कभी राज्यों को हड़प लिया जाये तो किसी प्रकार की कटुता शेष न रह जाये और यह समाविष्टि सभी के सुखसाधन तथा हित साधन के लिए हो। मैं यह जानता हूं कि सरदार पटेल बहुत ही महान् पुरुष हैं और बहुत ही व्यावहारिक राजनीतिज्ञ भी हैं और मैं उनको बुजुर्ग मानकर उनके सामने आदरपूर्वक अपने कुछ विनम्र सुझाव रखना चाहता हूं। श्रीमान्, उन राज्यों के सम्बन्ध में जो अभी समाविष्ट नहीं हुए हैं, जनमत-संग्रह के लिये एक तिथि निश्चित की जानी चाहिये। मेरे विचार से लोगों से परामर्श लेना चाहिये और सम्बन्धित राज्य के नरेश को तीन महीने पूर्व राज्य को छोड़ देने तथा यूरोप अथवा अमेरिका जैसे देशों में भ्रमण के लिए चले जाने की सलाह देनी चाहिये। तब कुछ समय बाद सरदार पटेल को थोड़े समय के लिए उस राज्य में जाना चाहिए और लोगों के नेताओं से मित्रतापूर्ण विचार-विमर्श करना चाहिये। इससे आधा संघर्ष समाप्त हो जायेगा। मेरे विचार से भारत के नैतिक तथा आध्यात्मिक शस्त्रागार में एक जादू का हथियार है और वह जादू का हथियार अथवा मन्त्र पं. नेहरू हैं। जनमत-संग्रह के कुछ ही दिन पूर्व उस राज्य में जाने के लिये पंडित नेहरू से कहना चाहिये और उनसे एक छोटा-सा भाषण देने के लिए भी कहना चाहिए। मेरा यह विश्वास है कि कोई भी भारतीय हृदय ऐसा नहीं है जो पंडित नेहरू से प्रभावित न होता हो। हम लोग, जिनका गांधीवाद में विश्वास है, इस प्रकार के यथोचित साधनों से उच्च उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। हमारे उद्देश्य ही नहीं बल्कि उन्हें प्राप्त करने के साधन भी प्रशंसनीय होने चाहियें। इसलिए सामन्तवाद के अवशेषों को समाप्त करने का प्रयास करने में भी हमें ऐसे साधन अपनाने चाहियें जो राष्ट्रपिता के सिद्धांतों के अनुरूप हों।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा को जिस प्रश्न पर विचार करना है उसका इस विधेयक के प्रावधानों से उतना सम्बन्ध नहीं है जितना कि इस सैद्धांतिक प्रश्न से कि औपनिवेशिक सरकार को किस सीमा तक प्रान्तीय मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिये। श्रीमान्,

[श्री रोहिणी कुमार चौधरी]

मैं इसे स्वीकार करता हूं कि सद्यस्कृत्यता की स्थिति में यह आवश्यक ही नहीं किन्तु उचित भी है कि औपनिवेशिक सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार होना चाहिये। हमने यह विचार करना है कि इस विधेयक के प्रावधान कहां तक हस्तक्षेप की यथोचित सीमा के अन्दर रहे हैं अथवा क्या कोई ऐसा समय भी आ सकता है जब कि इस विधेयक द्वारा प्रयोग में आने वाली शक्तियों का दुरुपयोग किया जायेगा जिसके फलस्वरूप प्रान्तीय शासक असंतुष्ट हो जायेंगे। श्रीमान्, हमारे सम्मुख जो विधेयक है उसके सम्बन्ध में बहुत से संशोधन प्रस्तावित हैं। मैं यह भविष्यवाणी कर ही सकता हूं कि इनमें से अधिकांश उपस्थित नहीं किये जायेंगे और जो उपस्थित किये भी जायेंगे तो स्वीकार न होंगे। सिवाय मेरे माननीय मित्र संयुक्त प्रान्त के प्रधान मन्त्री के संशोधनों के क्योंकि उनके वजनी होने के कारण उनमें से कुछ स्वीकार हो जायेंगे। इस विधेयक के सम्बन्ध में उपस्थित किये हुये संशोधनों के बारे में एक विचित्र बात मैं यह देखता हूं कि वे एक समान है। अधिकांश खण्डों के सम्बन्ध में किसी न किसी सदस्य ने निकाल देने का प्रस्ताव किया है। उदाहरणार्थ खंड 1 की आवश्यकता नहीं समझी गई है और उसे निकाल देने के सम्बन्ध में संशोधन मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी और श्री भारती जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने प्रस्तावित किया है। माननीय पंडित पंत चाहते हैं कि खण्ड 2 निकाल दिया जाये और मेरे माननीय मित्र श्री चालिहा और श्री लक्ष्मीनारायण साहू चाहते हैं कि खंड 3 निकाल दिया जाये। माननीय पंडित कुंजरू चाहते हैं कि खण्ड 5 निकाल दिया जाये। राय बहादुर लाला राजकुंवर चाहते हैं कि खण्ड 4 और 6 निकाल दिये जायें। श्री टी.टी. कृष्णमाचारी चाहते हैं कि खण्ड 7 के उपखण्ड (ख) और (ग) निकाल दिये जायें। इसलिए, श्रीमान्, यदि आप इन संशोधनों के सभी प्रस्तावकों की इच्छा पूरी करने जा रहे हैं तो इस विधेयक का बहुत थोड़ा अंश शेष रह जायेगा। (*हास्य*) श्रीमान्, मुझे यह दिखाई देता है कि इस सभा के सदस्य यदि किसी खण्ड को चाहते हैं तो वह खण्ड 7 का उपखण्ड (1) है।

***उपाध्यक्ष:** आप यह कैसे कहते हैं कि उसे भी सभी सदस्य चाहते हैं?

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** मैं यह देखता हूं कि अन्य सभी खण्डों के सम्बन्ध में किसी न किसी सदस्य का निकाल देने का प्रस्ताव है और इसलिये...

***उपाध्यक्ष:** तब तर्कसंगति की दृष्टि से आप केवल यह कह सकते हैं कि दस सदस्य सात खण्डों को नहीं चाहते हैं। अपने शिक्षा-काल में मुझे यह सिखाया गया था कि इस प्रकार का आशय निकालना खतरनाक सिद्ध होता है।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** श्रीमान्, यह ठीक है। इस विधेयक में सात खण्ड हैं जिनमें से छ: के सम्बन्ध में किसी न किसी सदस्य का यह प्रस्ताव है कि उनमें से कोई न कोई संशोधन निकाल दिया जाये। इसलिये केवल खण्ड (7) का उपखण्ड (क) ही ऐसा रह जाता है जिस पर सभा एक मत से विचार करना चाहती है और जिसे निकाल देने के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास : जनरल): यह सच नहीं है।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** और इसलिये, श्रीमान्,

***उपाध्यक्ष:** एक माननीय सदस्य कहते हैं कि यह बात भी सच नहीं है।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** यह हो सकता है किन्तु इस विधेयक का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान वही है और मैं इस प्रावधान का, जिसका आशय यह है कि ऐसे उद्योग-धंधों के विकास का अधिकार, जो आवश्यकीय समझे जायें, औपनिवेशिक सरकार को प्राप्त होना चाहिये। मैं विभिन्न प्रान्तों में उद्योग-धंधों के विकास को बहुत दिलचस्पी से देखता रहा हूं और मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय सरकार के इस थोड़े से कार्यकाल में भी यदि यह विषय केवल औपनिवेशिक सरकार के हाथ में होता तो उद्योग-धंधों का अधिक विकास हुआ होता। इसलिये इस खण्ड का समर्थन करने में अर्थात् इस खण्ड के उस अंश का समर्थन करने में, जिसके अधीन उद्योग-धंधों के विकास का पूरा कार्य भारत सरकार को सौंप देने का प्रस्ताव है, मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं है। किन्तु इस खण्ड के अन्तिम भाग से मैं सहमत नहीं हूं अर्थात् इससे कि प्रान्त में व्यापार और वाणिज्य तथा पदार्थों का उत्पादन और प्रदाय किसी समय पूर्णतया भारत सरकार के नियंत्रण में आ जायेगा। मेरी यह धारणा है कि जहां तक विशेष पदार्थों के उत्पादन तथा प्रदाय का सम्बन्ध है प्रान्तों के लिये उनके प्रदाय पर, यदि प्रान्त नहीं चाहते हैं तो कोई आयंत्रण न गाना चाहिये किन्तु यदि वे चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में कोई अन्य अनुच्छेद रखना चाहिये। यह समझा जा सकता

[श्री रोहिणी कुमार चौधरी]

है कि मैं कई बातों को पहले से मान ले रहा हूं परन्तु साथ ही मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि मेरे माननीय मित्र पंडित पंत द्वारा उपस्थित किये जाने वाले संशोधन में जो प्रस्ताव है उसका सारी सभा को समर्थन करना चाहिये ताकि प्रान्त अपने उद्योग-धंधों से सम्बन्धित व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में स्वतंत्रता से काम कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** मि. नजीरुद्दीन अहमद!

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक में सन्निहित सिद्धान्तों से साधारणतया सहमत हूं सिवाय एक अंश के सम्बन्ध में अर्थात् खण्ड 6 के एक अंश के सम्बन्ध में।

***उपाध्यक्ष:** यदि यह बात है तो क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप पांच मिनट से अधिक न लें?

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मेरे लिये पांच मिनट बहुत काफी हैं।

श्रीमान्, इस खण्ड के सम्बन्ध में मुझे केवल उस प्रावधान से आपत्ति है जिसके अनुसार समाविष्ट होने वाले राज्यों को किसी गवर्नर के प्रान्त का अंग बना लिया जायेगा अथवा चीफ कमिश्नर का प्रान्त बना लिया जायेगा। श्रीमान्, मैंने किसी राजनैतिक दृष्टि से नहीं बल्कि कानून की दृष्टि से यह बात उठाई है। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि इस विधेयक के माननीय प्रस्तावक महोदय ने जब इस विधेयक को उपस्थित किया था तो वे साधारण सरदार पटेल ही थे किन्तु मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि आज उन्होंने कानून के डॉक्टर की विद्वत्ता का परिचय दिया है। वे इस उपाधि के लिये हर प्रकार योग्य हैं। मुझे विश्वास है कि जिन कानूनी बातों को मैं उनके सामने रखने जा रहा हूं उन पर वे स्वयं विचार करेंगे।

कुछ राज्यों ने, जो समाविष्ट हुए हैं उन्होंने यह अधिकार औपनिवेशिक सरकार को दे दिया है कि वह जिस प्रकार चाहे और जिस साधन से चाहे उनका

प्रबन्ध अथवा 'प्रशासन' करे। मेरा यह तर्क है और मैं इसे उचित अवसर पर विस्तृत रूप से उपस्थित करूंगा कि इन राज्यों के नरेशों की ओर से राज्यों का प्रशासन सौंपने की जो रियायत दिखाई गई है उसमें इन राज्यों को इस प्रकार प्रान्तों में परिणत करना तथा प्रान्तों का अंग बनाना सम्मिलित नहीं है कि इनका अस्तित्व ही मिट जाये। संविदा द्वारा इस प्रकार की शक्ति प्रदान नहीं की गई।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): केवल "जैसे कि इस प्रकार का क्षेत्र अंग हो गया हो" शब्द हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मैंने "जैसे कि" शब्दों की ओर ध्यान दिया है। किन्तु फिर भी, जैसा कि मैं बाद को निवेदन करूंगा, ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो वैधानिक दृष्टि से न्यायसंगत नहीं कही जा सकती हैं।

श्रीमान्, जब अंग्रेज यहां से चले गये तो ये राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गये। इन राज्यों तथा भारत के सम्बन्ध किसी संविदा, समाविष्टि पत्र अथवा अनुपूरक समाविष्टि-पत्र के आधार पर स्थापित किये जा सकते हैं। एक समाविष्टि-पत्र पर हस्ताक्षर किये ही गये और बाद में एक नई संविदा की गई जिसके अनुसार इन राज्यों का प्रबन्ध भारत सरकार के हाथ में आ गया। किन्तु इन राज्यों के प्रशासन का अधिकार देने से इनको किसी प्रान्त में मिलाने अथवा इनको इस प्रकार एक साथ मिला देने की शक्ति प्राप्त नहीं हो जाती कि बाद को इनके लिये अलग होना असम्भव हो जाये। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की शक्ति नहीं दी गई है और यह संविदा की परिधि के बाहर की चीज है। मैं बाद को बताऊंगा कि स्थिति इस प्रकार है कि एक दूसरी संविदा पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

श्रीमान्, इस अवसर पर इसकी विस्तृत व्याख्या करके मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। इन थोड़े से शब्दों के साथ केवल विधेयक के उस अंश के अतिरिक्त जिसकी ओर मैंने संकेत किया है मैं विधेयक में सन्निहित सभी सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं।

***मौलाना हसरत मोहानी** (संयुक्तप्रान्त : मुस्लिम): श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र सरदार पटेल भले ही उल्टे ढंग से काम करने का निश्चय कर चुके हों

[मौलाना हसरत मोहानी]

और आप उनका समर्थन करने का निश्चय कर चुके हों किन्तु मेरे विचार से इस सभा के लक्ष्य सम्बन्धी प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए इस विधेयक पर विचार-विमर्श करने का अब कोई अवसर नहीं है क्योंकि उसमें निश्चित रूप से यह कहा गया है कि:

"यह विधान-परिषद् अपना यह दृढ़ तथा पवित्र संकल्प घोषित करती है कि वह भारत को एक स्वतंत्र सर्वसत्ताधारी गणराज्य घोषित करेगी...."

श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि सन् 1935 का सारा भारत शासन अधिनियम भारत पर औपनिवेशिक प्रभुत्व के सिद्धान्त पर आधृत है। उस अधिनियम का प्रत्येक शब्द उस सिद्धान्त पर आधृत है। यदि हम अपने संकल्प को तथा लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव में घोषित उद्देश्यों को पूरा करना चाहें तो मेरे विचार से सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम जैसी दूषित चीज पर विचार विमर्श करने के लिये हमारे पास कोई अवसर नहीं है और ऐसा करने से हम केवल अपने समय को तथा अपनी शक्ति को नष्ट करेंगे। इससे क्या लाभ होगा? निस्सन्देह यदि कोई गुप्त समझौता हो गया है और गणराज्य घोषित करने पर भी अपने ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहने का निश्चय कर लिया है और, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, आप कोई नई पदावली गढ़ने जा रहे हैं अर्थात् जैसा कि हालैंड इंडोनेशिया को बनाने जा रहा है, आपका देश औपनिवेशिक गणराज्य है और यदि वह गणराज्य कामनवेल्थ की गोद ही में रहेगा तो हम अपने को मूर्ख ही सिद्ध करेंगे। यदि हम इस विधेयक को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा देश भले ही गणराज्य हो किन्तु वह औपनिवेशिक गणराज्य ही होगा। हम फिर भी ब्रिटिश कामनवेल्थ में ही रहेंगे। श्रीमान् यदि 'ब्रिटिश कामनवेल्थ' से 'ब्रिटिश' शब्द निकाल भी दिया जायेगा तो स्थिति में कोई सुधार न होगा क्योंकि यदि हम कामनवेल्थ में रहते हैं तो हमें उसके अन्य राष्ट्रों से सहयोग करना पड़ेगा। यदि हम इसे एक बार आरम्भ करेंगे तो हमें पश्चिमी गुट अर्थात् पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों से सहयोग करना पड़ेगा। यह बहुत ही खराब होगा। इसका अर्थ यह होगा

कि हमें हालैंड, बेल्जियम और उस पश्चिमी गुट के देशों से सहयोग करना पड़ेगा जो स्पष्टतया सोवियत रूस का विरोध करने के लिए बनाया गया है। यदि भविष्य में ऐंग्लो-अमेरिकन गुट और दूसरे गुट के बीच युद्ध छिड़ गया तो हमें पश्चिमी गुट के साथ सहयोग करना पड़ेगा। इसका यह अर्थ है कि भावी विश्व-युद्ध में तटस्थ रहने का हमने जो संकल्प किया है वह समाप्त हो जायेगा। इसका यह अर्थ होगा कि हम जिन सिद्धान्तों का पोषण कर रहे हैं उन्हें हमें त्याग देना होगा। यदि इस अवसर पर हम यह कहें कि हम ब्रिटिश कामनवेल्थ को छोड़ देंगे और हमारा देश गणराज्य हो जायेगा तो ब्रिटिश सम्राट से हमारा कोई सम्बन्ध न रह जायेगा तो हम किस आधार पर ब्रिटिश कामनवेल्थ में सम्मिलित होंगे? लोग यह कहते हैं कि यह समान नागरिकता के आधार पर होगा और प्रथम नागरिक ब्रिटिश सम्राट होगा। श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और कनाडा के रुख को देखते हुए किसी प्रकार की समान नागरिकता को स्वीकार करना बिल्कुल निरर्थक है। इसलिये मेरा यह कहना है कि हमें किसी प्रकार की नागरिकता से, चाहे वह समान नागरिकता हो अथवा प्रथम नागरिकता, कोई सरोकार न होना चाहिये। इस प्रकार की मूर्खता से अब हमें कोई सरोकार न रखना चाहिये। इसलिये यदि हम भारत में गणराज्य स्थापित करने का संकल्प करते हैं तो हमें उसे स्थापित करने का हर प्रकार प्रयास करना चाहिये और सन् 1935 के अधिनियम को तथा भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक बात को त्याग देना चाहिये। इसके अतिरिक्त सब बातें निरर्थक और बिल्कुल ही अनियमित हैं। मेरा यह कहना है कि इस समय कोई भी अन्य कार्य करना अनैतिक है।

श्रीमान्, मैं आरम्भ में ही जब माननीय सरदार पटेल ने यह विधेयक उपस्थित किया था, ये बातें कह देना चाहता था। मैं आरम्भ में ही उनका विरोध करना चाहता था परन्तु, श्रीमान्, दुर्भाग्य से आपने मेरा आशय नहीं समझा, मेरी बातों को अनियमित बता दिया और बिना मुझे मत प्रकाश का अवसर दिये हुए ही मेरे विरोध पर मत ले लिया। इस अवसर पर मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैंने जो कारण बताये हैं उनको दृष्टि में रखते हुए मैं अपने माननीय मित्र सरदार पटेल

[मौलाना हसरत मोहानी]

से प्रार्थना करता हूं कि वे सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम जैसी दूषित चीज पर अपना समय तथा अपनी शक्ति को नष्ट न करें।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान्, मेरा यह प्रस्ताव है कि अब इस प्रश्न पर मत लिया जाये।

***उपाध्यक्ष:** मेरे विचार से हमने काफी समय तक सामान्य वादानुवाद कर लिया है। कुल मिलाकर सात माननीय सदस्यों ने भारत ने जो भारत के विभिन्न भागों से आये हैं और राज्यों से भी आये हैं, क्योंकि मेरे विचार से उनका इस विधेयक से बहुत सम्बन्ध है, इस वादानुवाद में भाग लिया है। अब मैं प्रस्ताव पर मत लूंगा।

क्या सरदार पटेल किसी प्रकार का उत्तर देना चाहते हैं?

निस्संदेह वादानुवाद समाप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** श्रीमान्, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ वक्ताओं ने भाषण दिये हैं किन्तु उन्होंने अपने को केवल उन प्रावधानों तक सीमित रखा है, जो राज्यों के सम्बन्ध में हैं। अन्य विषयों के बारे में विचार-विमर्श हुआ ही नहीं है और मुझे विश्वास है कि उनके सम्बन्ध में जो खण्ड है उन्हें स्वीकार करने में बहुत कम समय लगेगा।

श्रीमान् जहां तक खण्ड 6 का सम्बन्ध है, जिसका प्रभाव राज्यों पर पड़ता है, मुझे इन भाषणों की ध्वनि से ज्ञात हुआ है कि वक्ता महोदयों ने इस विधेयक में सन्निहित सिद्धान्त का बहुत कुछ पूर्ण रूप से ही समर्थन किया है। कुछ आलोचनाएं मेरे विचार से इस अर्थ में अप्रासंगिक थीं कि उनमें से कुछ में उस तरीके पर ही आपत्ति की गई थी जो राज्यों को संघ में समाविष्ट करने के लिये अपनाया गया था और कुछ में उस शासन के परिवर्तन पर आपत्ति की गई थी जिससे समाविष्ट क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव न पड़ता था। उदाहरणार्थ उड़ीसा के एक माननीय सदस्य महोदय ने, जो सब से प्रथम बोले थे, प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ ऐसे परिवर्तनों के सम्बन्ध में शिकायत की थी जो वहां के राज्य के संघ

में समाविष्ट होने के कारण हो गये हैं। उन्होंने यह बताया कि वहां के नरेश के शासन काल में उन्हें कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त थीं जो राज्य के संघ में समाविष्ट होने के उपरान्त उन्हें उड़ीसा सरकार से नहीं प्राप्त हो रही हैं। यह सम्भव है और यह समझ में भी आता है कि उस क्षेत्र में किसी उदार नरेश ने लोगों के हितार्थ कुछ अधिक धन व्यय किया हो और उड़ीसा की सरकार उसी क्षेत्र में उसी प्रकार धन व्यय करने में अपने को समर्थ न पा रही हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यों को संघ में समाविष्ट करने का उद्देश्य यह था कि शासन कार्य के लिये देश छोटे-छोटे प्रदेशों में न बंटा रहे। यह सम्भव है कि राज्य के संघ में समावेश से लोग छोटी-मोटी सुविधाओं से वंचित हो गये हों। किन्तु उद्देश्य यह है कि इस प्रश्न पर अन्य बड़ी बातों को सामने रख कर विचार किया जाये और साधारणतया अपेक्षाकृत सुशासन स्थापित किया जाये और पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्रान्तीय शासन के स्तर पर लाया जाय। यह एक समझ में आने वाली बात है कि जब आप किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको थोड़ा त्याग भी करना होता है। जब इन क्षेत्रों को ही संघ में समाविष्ट किया जा रहा है तो थोड़े से त्याग के सम्बन्ध में शिकायत न की जानी चाहिये। अन्यथा राज्यों का संघ में समावेश ही असम्भव हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त अलवर के माननीय सदस्य महोदय ने भूपाल की चर्चा की।

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा : जनरल): मैं कोई औचित्य प्रश्न करने के लिये नहीं उठा हूं। क्या मैं माननीय राज्य मंत्री महोदय से यह सूचना प्राप्त कर सकता हूं कि क्या यह ठीक है कि इस राज्य से जो आय प्राप्त होती है उसके अतिरिक्त उड़ीसा की सरकार ने अपने इसी वर्ष के आय-व्ययक में इस राज्य के लिये पचास लाख रुपये अलग रखे हैं? क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह सूचना ठीक है?

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** इससे मेरे इस कथन का ही समर्थन होता है कि थोड़ा त्याग भले ही करना पड़े किन्तु उससे हित अधिक होगा। यदि उड़ीसा की सरकार ने अपने आय-व्ययक में इन क्षेत्रों के लिये बहुत

[माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल]

सा धन अलग रखा है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में उससे यही आशा की जाती है और यदि वह इन छोटे-छोटे क्षेत्रों के हितसाधन में तत्परता दिखायेगी, जो वह अवश्य ही दिखायेगी, तो केवल भय के कारण इस प्रकार की जो शिकायत की जाती है वह न की जायेगी। इसलिये जो माननीय सदस्य इस प्रश्न पर सबसे प्रथम बोले हैं वे इस बात की ओर ध्यान देंगे कि उड़ीसा की सरकार को इसकी चिन्ता है कि उनके यहां के लोगों को सभी सुविधाएं दी जायें और उससे भी अधिक सुविधाएं दी जायें जो उनको एक छोटे प्रदेश के शासन काल में प्राप्त थीं।

जहां तक अलवर के माननीय सदस्य के उठाये हुए भूपाल के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता जो अभी तय नहीं हुए हैं और विचाराधीन ही हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों पर वादानुवाद करने से उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु मैं सभी को आश्वासन दे चुका हूं कि यदि किसी राज्य के लोग किसी प्रदेश में समाविष्ट होना चाहते हों अथवा संघ में सम्मिलित हो जाना चाहते हों तो नरेशों की ओर से शायद ही कोई विरोध हो क्योंकि मैं नहीं समझता कि लोगों की इच्छा के विरुद्ध छोटे-छोटे प्रदेशों को बनाये रखना सम्भव है। इसलिये यदि भूपाल के लोग किसी निकटवर्ती प्रदेश में समाविष्ट हो जाना चाहते हैं तो मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं है कि नरेश अथवा भूपाल के नवाब उनके मार्ग में बाधक सिद्ध न होंगे क्योंकि इस युग में कोई भी नरेश अपने लोगों की इच्छा की उपेक्षा करके सुखी नहीं रह सकता। वास्तव में जनतंत्र का अर्थ यही है। जब हम सारे भारत में जनतंत्रात्मक शासन स्थापित करने जा रहे हैं तो नरेश और उसकी प्रजा में इतना घोर संघर्ष होने पर छोटे-छोटे प्रदेश बने नहीं रह सकते। दोष नरेश का नहीं है बल्कि लोगों का ही है। आप जानते हैं कि छोटे-छोटे प्रदेशों में जहां कहीं मंत्रिमण्डल भी स्थापित किये जाते हैं, वे एक प्रकार का स्थायी स्वार्थ अस्तित्व में ले आते हैं और वे बड़े प्रदेश में समाविष्ट नहीं होना चाहते और वास्तव में अलग रहने के लिये नरेश से उनकी इच्छा अधिक बलवती होती है। इसलिये उन राज्यों के सम्बन्ध

में, जो अब शेष हैं, सामान्य रूप से वादानुवाद करना उचित न होगा। इस प्रश्न का यहां उठाने से उस राज्य के लोगों के बीच काम करना अधिक अच्छा है। परन्तु आपको वह विश्वास होना चाहिये कि नरेशों तथा उनकी प्रजा दोनों की सहमति से सारे भारत में एकरूपता लाने के लिये यथासम्भव प्रयत्न किया जायेगा। यदि लोग पद अथवा स्थायी स्वार्थों के संकुचित विचारों से प्रेरित न होकर जनसाधारण के हित को ध्यान में रखें तो कोई बाधा न होगी।

कोल्हापुर के माननीय सदस्य ने कोल्हापुर के शासन के सम्बन्ध में कई विवादग्रस्त प्रश्न उठाये हैं। मेरे विचार से इस समय वहां के प्रतिदिन शासन तथा शासनकार्य की कठिनाइयों पर विचार करने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सम्भवत: सभा को यह विदित है कि भारत सरकार ने इस राज्य के शासन की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी जिसके सभापति बम्बई के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे। न्यायाधीश कोयाजी का प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका है। राज्यों से आये हुए उन माननीय सदस्यों से, जिनकी इस मामले में दिलचस्पी है मेरी यह प्रार्थना है कि वे इस प्रतिवेदन को पढ़ें? उस प्रतिवेदन में बड़ी खेदजनक स्थिति का वर्णन है। महात्मा गांधी की हत्या की दु:खद घटना के उपरान्त उस क्षेत्र के लोगों के एक समूह ने यह ठान ली कि वहां के ब्राह्मणों को सताया जाये क्योंकि यह कहा जाता था कि एक ब्राह्मण नवयुवक ने उनकी हत्या की थी। उसके नाम धारी एक पूरे परिवार को जीवित ही जला डाला। ब्राह्मणों के कई घर जला दिये गये और उनकी सम्पत्ति लूट ली गई तथा वृहत् रूप से अत्याचार तथा उत्पीड़न किया गया। उस समय वहां एक लोकप्रिय मंत्रिमण्डल पदारूढ़ था। उस समय वहां कोई प्रशासक नहीं था। कोल्हापुर के हमारे मित्र ने कहा है कि प्रशासक का शासन, जो कि एक सिविल नौकर था, संसद् की भाषा में स्वर्ग का उल्टा था। आप उन लोगों से पूछिये जिनको उन दिनों में अत्याचार सहन करना पड़ा कि तथाकथित लोकप्रिय सरकार की शासन-व्यवस्था स्वर्ग के समान थी अथवा कुम्भीपाक नरक के समान। यदि लोकप्रिय सरकारों ने इस प्रकार का व्यवहार किया तो मेरे विचार से हम अपने जनतन्त्र पर गर्व नहीं कर सकते। नरेश की सहमति से हमने एक प्रशासक नियुक्त किया। नरेश ने एक प्रशासक की मांग की। प्रतिवेदन में मंत्रियों की निन्दा की हुई है। मैं इस सम्बन्ध में और अधिक नहीं कहना चाहता। सदस्य महोदय यह कहते हैं कि समाविष्टि के सम्बन्ध में

[माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल]

कोल्हापुर में जनमत लेने के लिए एक कालावधि निश्चित की जाये। उनके भाषण से मैं यह समझ पाया हूं कि वे समाविष्टि के विरुद्ध हैं। यदि किसी क्षेत्र अथवा राज्य के लोग समाविष्टि नहीं चाहते हैं तो हम उन्हें उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं। यदि एक समय लोग समाविष्टि के पक्ष में हों और दूसरे समय अपने राज्य को पृथक् रखना चाहें, यदि मंत्रिमंडल न होने पर वे समाविष्टि चाहें और मंत्रिमंडल में आने पर समाविष्टि का विरोध करें तो इस स्थिति में लोकमत लेना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि इस स्थिति में लोगों को भयभीत करने की तथा वृहत् रूप में हिंसात्मक अपराध करने की आशंका बनी रहती है। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि लोगों की इच्छा के विरुद्ध कोई समाविष्टि नहीं हुई है और अभी तक किसी भी समाविष्टि के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की गई है। भविष्य में भी किसी दिशा से शिकायत न की जायेगी, सिवाय उन लोगों से जो निजी कारणों से किसी क्षेत्र के जनसाधारण की इच्छा की पूर्ति के मार्ग में बाधक सिद्ध होंगे। इस समय तक हमने जो कुछ किया है वह इन प्रदेशों के नरेशों तथा लोगों की स्वतन्त्र सहमति के अनुसार ही किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ छोटे नरेशों ने, जिन्होंने पहले तो समाविष्टि संविदा पर हस्ताक्षर कर दिये परन्तु बहुत काल के उपरान्त फिर विचार करके, सम्भवत: कुछ वकीलों के परामर्श से शिकायत की और समाविष्टि संविदा की सार्थकता पर न्यायालय में सन्देह प्रकट करना चाहा। मैंने उन्हें यह सलाह दी कि वे वकीलों और न्यायालयों पर व्यर्थ रुपया नष्ट न करें और यदि वे समाविष्टि संविदाओं को अब अस्वीकार करना चाहते हैं तो मैं उन्हें फाड़ दूंगा और उन्हें स्वतन्त्र कर दूंगा परन्तु फिर उन्हें मेरे पास रक्षा तथा सुरक्षा के लिए न आना चाहिए। जिस समय मैंने उनकी समाविष्टि संविदा स्वीकार की थी उस समय मुझे उनकी रक्षा का प्रबन्ध करना पड़ा था क्योंकि उन क्षेत्रों में जिस प्रकार का शासन वे चला रहे थे वह लोगों को इतना अप्रिय था कि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने उनके महलों पर अधिकार कर लिया था। इसलिये समाविष्टि के प्रश्न का अब बहुत महत्व नहीं रह गया है क्योंकि अधिकांश राज्यों ने या तो संघ बना लिए हैं या समाविष्ट हो गये हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी अलग ही हैं। ऐसे भी नरेश हैं जिनको यदि विश्वास हो जाये कि उनके अधिक त्याग करने से सारे देश का हितसाधन होगा तो वे इसके लिये भी तैयार

हैं। यदि कोई नरेश अपनी अकड़ नहीं छोड़ना चाहता है तो, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं उसके लिये कुछ न कर सकूंगा। वह और उसके लोग अपना हिसाब तय कर सकते हैं।

इसलिये कोल्हापुर से आये हुए माननीय सदस्य से चेतावनी के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे विश्वास है कि कोल्हापुर के लोग समाविष्टि के पक्ष में हैं और यदि मैं वहां के नरेश को समाविष्टि के लाभ के सम्बन्ध में समझ सकूंगा तो वे लोग जो समाविष्टि के विरुद्ध रहेंगे आगे चलकर दया के पात्र न होंगे। जब संसार तेजी से आगे बढ़ रहा है तो जो लोग उसके रास्ते में रोड़े अटकायेंगे उन्हें अपने लिये एक अलग रास्ता निकालना होगा।

हम देश के अंग में शासन-प्रबन्ध की छोटी-छोटी इकाइयों के रूप में इन नासूरों का अन्त करने के कार्य को अब तुरन्त समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनके कारण हमें बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों से आये हुए सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि वे अधिक तर्कपूर्ण हों और अधिक बुद्धिमानी से काम लें तथा जो कुछ पहले होता था उसकी चर्चा न करें। मेरे मित्र ने यहां कोल्हापुर के अपने समय के शिक्षा-विभाग के संचालन के कुछ उदाहरण दिये हैं जब कि वास्तव में वहां किसी प्रकार का शासन ही नहीं था। यदि उनके समय में शिक्षा का कार्य थोड़ी बहुत कुशलता से किया जा रहा था तो लोगों को हाल में जिन विपत्तियों का सामना करना पड़ा उनको दृष्टि में रखते हुए उसका महत्व कुछ भी नहीं रह जाता। आखिर समाविष्टि के उपरान्त हो क्या जायेगा? स्थिति यह है कि वह बम्बई के प्रान्त में समाविष्ट होने जा रहा है। कोल्हापुर निवासियों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बम्बई के प्रान्त में समाविष्ट होने से उनकी प्रतिष्ठा अथवा शासनकार्य की कुशलता किसी प्रकार कम न हो जायेगी।

हमारे मित्र मि. नजीरुद्दीन अहमद को यह भय है कि शासनतंत्र अथवा राजसत्ता विनष्ट हो जायेगी। मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने कानूनी दृष्टि से यह आपत्ति की है अथवा अपने चित्त की विकलता के कारण। किन्तु मैं यह कहूंगा कि जो राज्य समाविष्ट हो गये हैं उनके नरेशों तथा लोगों ने स्वेच्छा से अपने शासनाधिकार सौंप दिये। निजी पूंजी तथा प्रतिष्ठा और स्थिति के सम्बन्ध में कुछ अधिकारों के अतिरिक्त, जो उन्हें प्रदान किये गये हैं, अन्य सभी अधिकार हमें समर्पित कर दिये गये हैं और उनके सम्बन्ध में कानून विरोधी कोई बात नहीं

[माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल]

है। यदि वे यह कहते हैं कि लोगों से परामर्श नहीं लिया गया है तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे एक स्थान भी ऐसा बता सकते हैं जहां यह नहीं किया गया है? यदि लोग शिकायत नहीं करते हैं तो उसका कारण यह है कि जिस प्रकार भी किसी क्षेत्र में जाना जा सकता था उस प्रकार वहां लोगों की इच्छा जानने का प्रयास किया गया है। आप इसे स्वीकार करेंगे कि मतदाताओं की सूचियां तैयार नहीं हैं। उस रीति से उनकी इच्छा जानने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। किन्तु उनकी नब्ज देख ली गई और यही कारण है कि उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं की जाती है।

हमारे मित्र भी रोहिणी कुमार चौधरी ने संशोधनों का विश्लेषण करते हुए सारे विधेयक का ही शून्यन कर दिया। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता है, किन्तु उन्होंने एक ही प्रश्न अर्थात् औद्योगिक विधेयक की ओर ही संकेत किया है और वे उसका समर्थन करते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

मैं नहीं जानता कि मैं मौलाना हसरत मोहानी के सम्बन्ध में कुछ कह सकता हूं कि नहीं। अब वे यह देखते हैं कि यह सभा उनका समर्थन नहीं करती है और उनकी मांग के अनुसार अपनी सर्वसत्ता का भी प्रयोग नहीं करती। इसलिये उनके लिये इस सभा में बैठना अपने अन्त:करण का विरोध करना ही होगा। जो कार्यवाही उनके सिद्धान्तों के अनुसार नहीं होती है उसमें भाग न लेना ही उनके लिये श्रेयस्कर है।

***मौलाना हसरत मोहानी:** मैं आपको मनमानी नहीं करने दूंगा। इसी लिये मैं यहां उपस्थित हूं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** मुझे बस इतना ही कहना है। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि सभा ने आमतौर से इस विधेयक का समर्थन ही किया है। अब हम संशोधनों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"भारत शासन अधिनियम के संशोधक विधेयक पर तुरन्त विचार-विमर्श किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** मैं यह देखता हूं कि श्री टी.टी. कृष्णमाचारी और श्री एल. कृष्णस्वामी भारती के नाम से एक संशोधन अर्थात् संशोधन संख्या 4 है और यह भी कि इस संशोधन पर दो संशोधन हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** आपकी अनुमति से तथा सभा की अनुमति से मैं मूल सूची के संशोधन संख्या 4 को उपस्थित न करके अनुपूरक सूची का संशोधन संख्या 1 उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"खण्ड (1) के बाद निम्नलिखित खण्ड प्रविष्ट किया जाये:

'Interpretation–

1-A. The Interpretation Act, 1889, applies for the Interpretation of this Act as it applies for the Interpretation of an Act of Parliament.' "

[निर्वचन–

1-ए. निर्वचन अधिनियम, सन् 1889 इस अधिनियम के निर्वचन के लिये उसी प्रकार प्रयोग में आयेगा जैसे वह संसद् के किसी अधिनियम के निर्वचन में प्रयोग में आता है।]

यह बहुत कुछ एक रस्मी संशोधन है क्योंकि यह इस अधिनियम के केवल निर्वचन के लिये प्रावधान रखता है। यहां जिस अधिनियम की ओर संकेत किया गया है वह ग्रेट ब्रिटेन का सन् 1889 का निर्वचन अधिनियम है। मूल भारत शासन अधिनियम के सम्बन्ध में यह बात थी कि चूंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे बनाया था इसलिये यह निर्वचन-अधिनियम प्रयोग में आ सकता था। किन्तु इस समय जब तक कि विधेयक में ही इस अधिनियम का उल्लेख न किया जाय तब तक वह प्रयोग में नहीं आयेगा। इसलिये मुझे आशा है कि यह सभा इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

***उपाध्यक्ष:** दूसरा संशोधन मि. नजीरुद्दीन अहमद के नाम से है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, आपकी तथा इस सभा की अनुमति से मैं अपने संशोधन को परिवर्तित रूप में उपस्थित करना चाहता हूं क्योंकि मूल प्रस्ताव में ही परिवर्तन हो गया है। मैं उस प्रस्ताव पर संशोधन उपस्थित करना

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

चाहता हूं जो श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने सभा के सामने रखा है अर्थात् यह कि खण्ड (1-ए) उस रूप में प्रविष्ट किया जाये जिस रूप में वह अनुपूरक सूची संख्या 1 में दिया हुआ है। मैं सारे खण्ड को निकाल देने के लिये नहीं बल्कि उसके अन्तिम भाग को ही निकालने के लिये प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं। श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

> "अनुपूरक सूची के संशोधन संख्या 1 में प्रस्तावित खण्ड (1-ए) में से 'As it applies for the interpretation of an Act of Parliament' (उसी प्रकार तथा जैसे वह संसद् के किसी अधिनियम के निर्वचन में प्रयोग में आता है) शब्द निकाल दिये जायें।"

इन शब्दों को निकालने का प्रस्ताव करते हुए मैं इस सिद्धान्त का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं कि सन् 1889 का निर्वचन अधिनियम इस अधिनियम के निर्वचन के लिये प्रयोग में आये। वास्तव में इस संशोधन से एक विखण्डनशील बात का निराकरण हो जाता है। संसद् के सभी अधिनियमों के सम्बन्ध में सन् 1889 का अधिनियम प्रयोग में आता है और इसलिये वह भारत शासन अधिनियम के सम्बन्ध में भी प्रयोग में आयेगा। इस विधेयक में इसका उल्लेख नहीं है। कि ब्रिटिश अधिनियम अथवा भारतीय खण्ड-अधिनियम में से कौन-सा निर्वचन अधिनियम प्रयोग में आयेगा। यह संदेहास्पद है कि बाद में बताया हुआ अधिनियम इस विधेयक के सम्बन्ध में लागू होगा अथवा नहीं। इस संशोधन से इस संदेह का निराकरण हो जाता है। जिन शब्दों को मैं निकालना चाहता हूं वे केवल इस खण्ड के व्यावहारिक अंग के सम्बन्ध में तर्क उपस्थित करते हैं। संशोधित रूप में खण्ड इस प्रकार हो जायेगा:

> "1A. The Interpretation Act, 1889, applies for the interpretation of this Act." (1-ए. निर्वचन अधिनियम, सन् 1889, इस अधिनियम के निर्वचन के लिये प्रयोग में आयेगा।)

मेरा यह निवेदन है कि यह पर्याप्त है अन्तिम भाग अर्थात् 'जैसे' वह संसद् के किसी अधिनियम के निर्वचन में प्रयोग में आता है केवल एक तर्क मात्र है अथवा एक वर्णनात्मक खण्ड है। चूंकि विधान-मंडल के किसी कानून में इस

प्रकार का तर्क अथवा वर्णनात्मक खण्ड प्रविष्ट करने की आज्ञा नहीं है इसलिये इन शब्दों को निकाल देना चाहिये। यह बात नहीं है कि किसी प्रकार का तर्क अथवा व्याख्या अनुचित है—इस प्रकार का तर्क अथवा व्याख्या उचित ही है—किन्तु इसे खण्ड के व्यावहारिक अंग से निकाल देना चाहिये। मुझे आशा है कि सभा इस विषय पर विचार करेगी।

***माननीय श्री बी.जी. खेर** (बंबई : जनरल): श्रीमान्, माननीय प्रस्तावक ने अपने संशोधन में कोई कारण नहीं बताया है बल्कि केवल यह कहा कि निर्वचन अधिनियम किस प्रकार प्रयोग में आयेगा। 'जैसे' का अर्थ है 'जिस प्रकार'। माननीय सदस्य, मि. नजीरुद्दीन अहमद ने 'जैसे' का अर्थ 'क्योंकि' लगाया है मानो कि प्रस्तावक कोई तर्क उपस्थित कर रहे हों।

*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड (1) के बाद निम्नलिखित खण्ड प्रविष्ट किया जाये:

'Interpretation–

1-A. The Interpretation Act, 1889, applies for the Interpretation of this Act as it applies for the Interpretation of an Act of Parliament.'

[निर्वचन–

1-ए. निर्वचन अधिनियम, सन् 1889, इस अधिनियम के निर्वचन के लिये उसी प्रकार प्रयोग में आयेगा जैसे वह संसद् के किसी अधिनियम के निर्वचन में प्रयोग में आता है।]"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** चूंकि सभा पहले संशोधन को स्वीकार कर चुकी है इसलिये इसका यह अर्थ है कि दूसरा संशोधन, जो मि. नजीरुद्दीन अहमद के नाम से है, गिर गया है। अब मैं खण्ड 1-ए पर सभा का मत लेता हूं।

प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 1-ए विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 1-ए विधेयक का अंग हो गया।

***माननीय डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"खण्ड 2 के स्थान में निम्नलिखित रखा जाये:

'2. भारत शासन अधिनियम, सन् 1935, की धारा (8) में संशोधन—उक्त अधिनियम की धारा (8) में—(क) उपधारा (1) के परादिक के खण्ड (1) में 'in this Act' (इस अधिनियम में) शब्दों के बाद 'or in any law made by the Dominion Legislature with respect to any of the matters specified in the next succeeding sub-section' (अथवा किसी ऐसे कानून में जिसे औपनिवेशिक विधान-मंडल ने आगे की उपधारा में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में बनाया हो) शब्द प्रविष्ट किये जाएं', और

(ख) उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित उपधारा प्रविष्ट की जाये, अर्थात्–

'(1-A) The matters referred to in clause 1 of the proviso to Sub-Section (1) of this Section are–

(a) industrial and labour disputes;

(b) trade and commerce in, and production, supply and distribution of, products of industries the development of which is declared by Dominion law to be expedient in the public interest;

(c) the sanctioning of cinematographic films for exhibition; and

(d) inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in the Concurrent Legislative List.' "

[(1.ए) इस धारा की उपधारा (1) के परादिक के खण्ड (1) में इन विषयों का संकेत है–

(क) औद्योगिक तथा श्रम सम्बन्धी विवाद;

(ख) ऐसे औद्योगिक पदार्थों का व्यापार तथा वाणिज्य और उनका प्रदाय तथा वितरण जिनके सम्बन्ध में औपनिवेशिक कानून द्वारा यह

घोषणा की गई हो कि उसका विकास लोकहित की दृष्टि से आवश्यक है;

(ग) सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों के प्रदर्शन की मंजूरी; और

(घ) समवर्ती विधान-सूची के किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में परिपृच्छा तथा आंकड़े।]

श्रीमान्, जब खण्ड 2 मसौदे में प्रविष्ट किया गया था तो उस समय सरकार का यह विचार था कि पूरी समवर्ती सूची के सम्बन्ध में अधिशासी प्रकार्यों के पालन के लिये औपनिवेशिक विधान-मंडल को कानून बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। इस समय जहां तक समवर्ती सूची का सम्बन्ध है औपनिवेशिक विधान-मंडल ऐसे कानून बना सकता है जो प्रान्तों के बनाये हुए कानूनों का शून्यन कर देंगे किन्तु जहां तक अधिशासी प्राधिकार का सम्बन्ध है उसे केवल प्रान्तीय सरकारें प्रयोग में ला सकती हैं। नये विधान में अनुच्छेद 60 के अधीन, जो स्वीकार हो चुका है यह निर्धारित किया गया है कि समवर्ती सूची के सम्बन्ध में भी अधिशासी प्रकार्यों के बारे में औपनिवेशिक संसद् को कानून बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह प्रश्न उठा कि क्या अन्तरिम काल में औपनिवेशिक संसद् को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर लेनी चाहियें अथवा नहीं? इस समय भारत शासन अधिनियम के अधीन औपनिवेशिक संसद् और औपनिवेशिक सरकार ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो साधारणतया समवर्ती सूची के विषय हैं, प्राधिकार तीन प्रकार प्रयोग कर सकती है। आवश्यकीय प्रदार्थ-पदार्थों अधिनियम कुछ ऐसे विशेष पदार्थों से हैं जैसे खाद्य पदार्थ और कुछ अन्य पदार्थ जिनके सम्बन्ध में औपनिवेशिक संसद् तथा औपनिवेशिक सरकार को पूर्ण विधायी तथा अधिशासी शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति सन् 1951 में समाप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त एक प्रावधान ऐसा भी है कि उद्योग-धंधों के विकास के सम्बन्ध में, जो औपनिवेशिक संसद् के मत में सारे भारत के लिये महत्वपूर्ण है, औपनिवेशिक संसद् में विचार-विमर्श हो सकता है। किन्तु इसका सम्बन्ध किसी ऐसे धंधे से है जो औपनिवेशिक संसद् के मत से उद्योग समझा जा सकता है। यह अनुभव किया गया है कि औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि औपनिवेशिक संसद् तथा औपनिवेशिक सरकार को केवल उन उद्योग-धंधों के विकास के सम्बन्ध में शक्ति प्राप्त हो जिनका महत्व सारे भारत के लिये

[माननीय डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी]

समझा जाये। विकास की यह व्याख्या की गई है कि उसमें इस प्रकार के उद्योग-धंधों का नियमन तथा नियंत्रण, इनसे सम्बन्धित व्यापार तथा वाणिज्य तथा इस प्रकार के उद्योग-धंधों से उत्पादित पदार्थों पर नियंत्रण अथवा उनका वितरण सन्निहित नहीं है। इसलिये पहले यह सुविधाजनक समझा गया कि अन्तरिम काल में भी औपनिवेशिक संसद् भारत शासन अधिनियम में यथोचित संशोधन करके विस्तृत शक्ति प्राप्त कर ले। औद्योगिक विकास के अतिरिक्त आंकड़े फिल्मों की परीक्षा और औद्योगिक विवाद जैसे-जैसे कुछ अन्य विषय भी थे जिनके सम्बन्ध में यह समझा गया कि केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो जानी चाहिये।

जहां तक औद्योगिक तथा श्रम-संबंधी विवादों का सम्बन्ध है। जैसा कि सरदार पटेल बता चुके हैं यह एक प्रान्तीय विषय है किन्तु यह समझा गया कि विवादों को तय करने के लिये प्रान्तीय कानूनों के अधीन जो औद्योगिक अधिकरण बनाये जायें उनके सम्बन्ध में कानूनों में तथा अधिशासी-कार्य में एकरूपता होनी चाहिये प्रान्तीय सरकारों, कुछ प्रान्तीय प्रधान-मंत्रियों तथा दिल्ली में उपस्थित प्रान्तीय सरकारों के प्रतिनिधियों से परामर्श लेकर यह विचार किया गया है कि अन्तरिम काल में भारत सरकार इस सम्बन्ध में विस्तृत शक्ति तो अपने हाथ में न ले किन्तु ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में, जो इस समय के लिये बहुत ही आवश्यकीय हैं और जिनको तत्काल हल करना भी आवश्यक है। यथोचित संशोधन किया जाये। इस उद्देश्य से, आप संशोधन संख्या 9 में देखेंगे कि औद्योगिक तथा श्रम-सम्बन्धी विवादों, ऐसे औद्योगिक पदार्थों का व्यापार तथा वाणिज्य और उनका प्रदाय तथा वितरण जिनके सम्बन्ध में औपनिवेशिक कानून द्वारा यह घोषणा की गई हो कि उनका विकास लोकहित की दृष्टि से आवश्यक है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों के प्रदर्शन की मंजूरी और समवर्ती विधान-सूची के किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में परिपृच्छा तथा आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह है कि विधेयक में खण्ड 7 मूल रूप में जिस प्रकार है उसमें परिवर्तन करना होगा। इसका यह परिणाम होगा कि जहां तक कि कानून बनाने की शक्ति का सम्बन्ध है औपनिवेशिक संसद् को, जब कभी आवश्यक होगा, कानून बनाने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त होगी और इस प्रकार बनाये हुए कानून इस

सम्बन्ध में यदि कोई प्रान्तीय कानून हों तो उनके ऊपर समझे जायेंगे। जहां तक इन विषयों के सम्बन्ध में अधिशासी प्राधिकार का सम्बन्ध है। औपनिवेशिक संसद् को कानून बनाने और आवश्यकता पड़ने पर अधिशासी प्रशासन को अपने हाथ में ले लेने की स्वतंत्रता होगी। श्रीमान्, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में भी, जिनका सारे देश के हित की दृष्टि से केन्द्र द्वारा नियमन तथा नियंत्रण आवश्यक है, उद्देश्य यह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की नीति का एकीकरण करने के लिए प्रान्तीय सरकारों से सहायता नहीं ली जायेगी। यह स्पष्ट है कि साधारण स्थिति में जिस अधिशासी तंत्र से काम लिया जायेगा वह प्रान्तीय शासन-तंत्र ही होगा। किन्तु यदि कोई ऐसा अवसर आये जब कि केन्द्रीय सरकार के लिये ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो सारे भारत के लिये महत्वपूर्ण समझे जायें, अधिशासी शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक हो जाये तो भारत सरकार को तथा औपनिवेशिक संसद् को इस प्रकार की शक्ति अपने हाथ में लेनी ही होगी। एक प्रश्न यह उपस्थित हुआ है कि क्या औपनिवेशिक विधान-मंडल को बिना प्रान्तीय सरकारों से परामर्श लिये ही इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिये अथवा नहीं। अभी तक जब कभी केन्द्रीय सरकार अथवा औपनिवेशिक विधान-मंडल को उद्योग-धंधों के विकास के सम्बन्ध में कानून बनाने की आवश्यकता हुई प्रान्तीय सरकारों से हमेशा पहले परामर्श लिया गया। मुझे विश्वास है कि यथोचित अवसर पर थोड़ी देर बाद जब यह प्रश्न उठाया जायेगा सरदार पटेल, सरकार की ओर से, यह आश्वासन देंगे कि विधान के प्रयोग में आने के पूर्व अन्तरिम काल में यदि केन्द्रीय सरकार के लिये यह आवश्यक हो कि वह इस समय संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित शक्तियों को प्रयोग करे तो प्रान्तीय सरकारों से हमेशा पहले परामर्श लिया जायेगा और इस परामर्श के फलस्वरूप जो निश्चय किया जायेगा उसे सूचनार्थ विधान-मंडल के सम्मुख रखा जायेगा।

इन शब्दों के साथ, श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

***उपाध्यक्ष:** इस संशोधन पर चार संशोधन हैं जिन्हें मैं एक-एक करके बताऊंगा। पहला मि. नजीरुद्दीन अहमद के नाम से है। सूची का संशोधन संख्या 3 ।

श्री नजीरुद्दीन अहमद: यह केवल एक रस्मी संशोधन है, इसलिये मैं उसे उपस्थित नहीं कर रहा हूं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

> "संशोधनों की मूल सूची के संशोधन संख्या 9 में प्रविष्टि के लिये प्रस्तावित खण्ड 2 में 'said Act' (उक्त अधिनियम) शब्दों के स्थान में 'Government of India Act, 1935 (hereinafter referred to as the said Act)' [भारत-शासन अधिनियम, सन् 1935 (जो आगे उक्त अधिनियम कहा गया है)] शब्द, संख्या तथा कोष्ठक रखे जायें।"

श्रीमान्, यह एक रस्मी संशोधन है जिससे मेरे माननीय मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के संशोधन की अपूर्णता दूर हो जाती है। मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार कर लेगी।

***पंडित हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): श्रीमान्, डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी द्वारा उपस्थित संशोधन को दृष्टि में रखते हुए मुझे अपने संशोधन को उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती।

***उपाध्यक्ष:** खण्ड 2 पर अब सामान्य वादानुवाद हो सकता है। पंडित हृदयनाथ कुंजरू कृपा करके माइक्रोफोन पर आयें।

***पंडित हृदयनाथ कुंजरू:** उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से सम्बद्ध उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में कहा गया है कि प्रान्तीय तथा केन्द्रीय अधिकरणों के निर्णयों पर पुनर्विचार करने के सिद्धान्तों में एकरूपता लाने के लिये भारत सरकार के लिये अधिक शक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए सरदार पटेल ने भी इसी विषय की चर्चा की थी। इसलिये मेरा यह अर्थ लगाना उपयुक्त ही होगा कि इसी कारण से सरदार पटेल ने यह कहा था कि समवर्ती विषयों से सम्बन्धित कानूनों के बारे में औपनिवेशिक विधान-मंडल को, केन्द्रीय अधिकारियों को अधिशासी प्रकार्य सौंपने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये।

श्रीमान्, यह स्पष्ट है कि विधेयक के सम्बन्ध में जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह आवश्यकता से अधिक आगे बढ़ गया है। जिस प्रश्न पर इस समय

विचार-विमर्श हो रहा है उसे मैंने पिछले दिन विधान के मसौदे के अनुच्छेद 60 के सिलसिले में उठाया था। मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने मेरे दृष्टिकोण को स्वीकार करने की असमर्थता प्रकट की थी और एक उत्कृष्ट भाषण देते हुए उनके विचार से मेरा संशोधन स्वीकार न करने के जो तर्क-संगत कारण थे उनको बताया था। यह विधेयक भारत शासन अधिनियम को केवल विधान के मसौदे के स्तर पर ले आना चाहता है। इसलिये मैंने यह सोचा था कि इस विषय पर विधान-परिषद् ने अन्तिम निर्णय कर लिया है और इसलिये अब इस विषय पर विचार नहीं किया जायेगा। किन्तु अब यह दिखाई देता है कि सभा उस दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिये तैयार है जिसे मैंने भारत शासन अधिनियम, सन् 1935, के संशोधन के सिलसिले में स्वीकार करने के लिये तर्क उपस्थित किया था परन्तु असफल रहा था। श्रीमान्, मैं कह नहीं सकता कि विधान के प्रयोग में आने तक प्रान्तीय सरकारें जो स्वतंत्रता चाहती हैं वह उन्हें प्राप्त होगी या नहीं अथवा मेरे माननीय मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी द्वारा उपस्थित संशोधन का यह अर्थ है कि सभा विधान के मसौदे के अनुच्छेद 60 के सम्बन्ध में अपने मत को दुहराने के लिये तैयार है। श्रीमान्, जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं डॉ. मुकर्जी द्वारा उपस्थित संशोधन का स्वागत करता हूं।

श्रीमान्, डॉ. अम्बेडकर के जिस भाषण की ओर मैंने संकेत किया है उसे पिछले दिन देते हुए उन्होंने कहा था कि यह आवश्यक है कि औपनिवेशिक विधान-मंडल इस स्थिति में हो कि वह समवर्ती विषयों के सम्बन्ध में उपनिवेश के अधिकारियों को अधिशासी शक्ति प्रदान करने के लिये कानून बना सके। अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने कहा था कि केन्द्र अस्पृश्यता के सम्बन्ध में कानून बना सकता है और यह भी कहा था कि बाल-विवाह अवरोधक अधिनियम को प्रभाव में लाने में प्रान्तीय सरकारें असफल रही हैं। निस्सन्देह यह आवश्यक है कि जब केन्द्रीय विधान-मंडल कोई कानून बनाये तो उसे सभी प्रान्त वफादारी से प्रयोग में लायें। किन्तु यह सम्भव है कि केन्द्रीय विधान-मंडल ने जिस कानून को उचित समझा हो उसका कुछ प्रान्तों में बिल्कुल भी स्वागत न किया जाये। मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा था कि इस स्थिति में यह परमावश्यक है कि केन्द्रीय विधान-मंडल अपने बनाये हुए कानूनों को यथोचित रूप से प्रयोग में लाने के लिये केन्द्रीय अधिकारियों को शक्ति प्रदान करने में समर्थ हो।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** हमेशा नहीं।

***पंडित हृदयनाथ कुंजरू:** मैंने डॉ. अम्बेडकर के दिये हुए केवल दो उदाहरणों की ओर संकेत किया है और मेरे विचार से उनके तर्कों का जो संक्षिप्त विवरण मैंने दिया है वह अनुपयुक्त नहीं है।

श्रीमान्, यदि केन्द्रीय सरकार को अस्पृश्यता-विरोधी कानूनों और बाल-विवाह अवरोधक अधिनियम को प्रयोग में लाने के लिये अपने ही कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़े तो उसे एक गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मेरे विचार से यह उसके सामर्थ्य में न होगा कि वह इतने वृहत् कार्य का भार उठा सके और प्रान्तीय सरकारों से कलह होने का परिणाम इतना दु:खद होगा कि कुछ कानूनों को प्रयोग में लाने के लिये औपनिवेशिक विधान-मंडल औपनिवेशिक कर्मचारियों को समवर्ती विषयों के सम्बन्ध में जो शक्ति प्रदान करेगी वह प्रभाव में न आ सकेगी। मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने आस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया था जिसके सम्बन्ध में मेरा वक्तव्य गलत प्रमाणित हुआ था। डॉ. अम्बेडकर ने उसमें जो सुधार किया है उसे मैं स्वीकार करता हूं। किन्तु यदि आस्ट्रेलिया की कामनवेल्थ सरकार समवर्ती विषयों के सम्बन्ध में भी अपने बनाये हुये कानूनों को प्रयोग में लाने के लिये अपने कर्मचारियों से कह सकती है तो फिर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि जनसंख्या की दृष्टि से आस्ट्रेलिया एक बहुत छोटा देश है। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि व्यवहार में उसने महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में कामनवेल्थ के कर्मचारियों से कानूनों को प्रयोग में लाने के लिये कहा है अथवा नहीं क्योंकि इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी राज्यों की सरकारों की ही है। श्रीमान्, भारत जैसे देश में संघीय सरकार को समवर्ती विषयों के सम्बन्ध में भी औपनिवेशिक कर्मचारियों को अधिशासी प्रकार्य सौंपने का अधिकार भले ही प्राप्त हो किन्तु यह देश इतना बड़ा है और यहां की जनसंख्या इतनी अधिक है कि इस प्रकार के कानूनों को प्रयोग में लाना असम्भव हो जायेगा। इसलिये मेरे विचार से डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने एक सामयिक संशोधन उपस्थित किया है। वह सभा को यह स्मरण कराता है कि केन्द्र को शक्तिशाली बनाने की इच्छा को पूरा करने के लिये वह बहुत आगे बढ़ रही है। हम सभी की यह इच्छा है कि केन्द्र शक्तिशाली हो। हम यह नहीं चाहते हैं कि केन्द्रीय प्राधिकारी महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित अपने कानूनों को लोगों से न मनवा सकें। भारत की एकता

केन्द्रीय सरकार की शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर ही निर्भर है। किन्तु संघीय विधान-मंडल तथा संघीय सरकार की शक्तियों की एक सीमा होनी चाहिये। किसी सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिये हमें कोई ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिये जिसका कोई दु:खद परिणाम हो। मुझे यह दिखाई देता है कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने जिस संशोधन को उपस्थित किया है उसे सभा स्वीकार करने जा रही है किन्तु मुझे आशा है कि उसे स्वीकार करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न न होगी कि सभा को विधान के मसौदे के अनुच्छेद 60 के सम्बन्ध में किये हुए अपने निर्णय को दुहराना पड़े।

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्, जब से यह विधेयक घुमाया गया है मैं इस विचार से क्षुब्ध रहा हूं कि इस विधेयक द्वारा वही अधिशासी शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे सन् 1939 से ब्रिटिश सरकार किसी न किसी बहाने अपने हाथ में लेती आई है। इसलिये श्रीमान्, मेरे मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि उससे अधिशासी शक्ति आयंत्रित हो जाती है। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि उन्हें पंडित गोविन्द बल्लभ पंत का समर्थन प्राप्त है और इसकी भी कि यह संशोधन इन दोनों माननीय मित्रों ने ही उपस्थित किया था। श्रीमान्, मेरे विचार से सभा इस सम्बन्ध में बहुत ही सतर्क है कि, सरकार में अथवा उसके बाहर जनतंत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। यह पहला ही अवसर नहीं है जब मैंने सन् 1935 ई. के भारत शासन अधिनियम की निन्दनीय धारा अर्थात् धारा 126-ए की चर्चा की है जिसे ब्रिटिश कामन्स सभा ने सन् 1939 में स्वीकार किया और सन् 1937 से ही उसे प्रभाव में ले आई। खण्ड 2 के अधीन धारा 126-ए का ही एक उप-पैरा प्रविष्ट करने का प्रस्ताव है। कामन्स सभा ने युद्ध के उपरान्त सन् 1939 में जिस निन्दनीय कानून को स्वीकार किया उसी के एक अन्य उपधारा को खण्ड 5 के अधीन प्रविष्ट करने का प्रस्ताव है।

श्रीमान्, यह जनतंत्र का परीक्षा-काल है और भारत में जैसे नवीन सर्वसत्ताधारी राज्य में तो उसका परीक्षा-काल है ही। विदेशी शासकों ने धारा 126-ए के अधीन भारत का शासन किया और उसी का चश्मा चढ़ा कर वे भारत की तस्वीर देखते रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि भारत-सरकार के कानूनी सलाहकारों ने और इस प्रतिष्ठित सभा के वैधानिक सलाहकार ने शान्ति-काल में इस

[श्री बी. दास]

सर्वसत्ताधारी सभा द्वारा सबसे प्रथम स्वीकार होने वाले सर्वसत्ताधारी विधेयक में विभिन्न प्रकार से धारा 126-ए को प्रविष्ट करने की किस प्रकार सलाह दी। यह देख कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत दु:ख भी हुआ। आज मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि भारत सरकार का ही जो मतभेद है उसे डॉ. मुकर्जी ने प्रकट किया है और मैं उनके प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि बाद को पंडित पंत खण्ड (5) को निकाल देने के सम्बन्ध में अपना संशोधन उपस्थित करेंगे। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि यह सर्वसत्ताधारी सभा एक जनतंत्रात्मक विधान-मंडल के रूप में काम कर रही है और मुझे आशा है कि वह अपनी सरकार को ऐसी निरंकुश शक्तियां न देगी जिनकी युद्धकाल ही में आवश्यकता होती है शान्ति-काल में नहीं।

***माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, मैंने भी इसी प्रकार के एक संशोधन की सूचना दी थी। वास्तव में डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने थोड़ी देर पहले जो संशोधन उपस्थित किया था उसके साथ मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है। मेरा यह विचार है कि मेरे लिये यह आवश्यक है कि मैं यह बताऊं कि किन कारणों से प्रेरित हो कर मैंने एक समान संशोधन की सूचना दी थी यद्यपि वह इस संशोधन के बिल्कुल समान न था। इसलिये इस संशोधन का स्वागत करते हुए तथा इसका समर्थन करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं इसे क्यों आवश्यक समझता हूं।

भारत शासन अधिनियम की धारा 8 के अधीन सूची 1 में दिये हुए विषयों के सम्बन्ध में संघीय केन्द्र को अपना अधिशासी संगठन नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई थी। प्रत्येक संघीय ढांचे में विधायी तथा अधिशासी प्रकार्यों, शक्तियों और कर्त्तव्यों का विभाजन होता है। प्रत्येक अंग के अधिकार-क्षेत्र को निश्चित तथा पृथक् करना होता है। अपने विधान में हमने संघीय ढांचे के आधारभूत सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। सन् 1935 में भी, जब वह अधिनियम स्वीकार किया गया था; प्रान्तों और राज्यों के एक संघ की कल्पना की गई थी। संघ की तथा उसके अंग प्रान्तों और राज्यों की शक्तियों की परिभाषा की गई थी। निस्संदेह, माननीय सदस्यों को यह विदित है कि तीन सूचियां बनाई गई थीं।

सूची 1 में उन केन्द्रीय विषयों का वर्णन था जिनके सम्बन्ध में केन्द्र को कानून बनाने तथा उनको प्रयोग में लाने के लिये यथोचित तंत्र स्थापित करने की शक्ति प्राप्त थी। सूची 2 में प्रान्तीय विषयों का वर्णन था जिनके सम्बन्ध में केवल प्रान्तों को ही कानून बनाने तथा उनको प्रयोग में लाने के लिये यथोचित तंत्र स्थापित करने की शक्ति प्राप्त थी। इन दोनों के अतिरिक्त एक समवर्ती सूची थी। इसी सूची के सम्बन्ध में यह संशोधन उपस्थित किया गया है। समवर्त्ती सूची का सम्बन्ध मुख्यत: प्रान्तीय विषयों से था अर्थात् उन विषयों से जिनके बारे में यह समझा गया था कि प्रान्त ही इनके सम्बन्ध में कानून बना सकते हैं तथा उनको प्रयोग में लाने की व्यवस्था कर सकते हैं। किन्तु जहां कहीं कानूनों में एकरूपता लाना आवश्यक समझा गया कुछ अपवाद किया गया। उस अधिनियम की योजना के अधीन, जिस पर हमारा अधिकांश विधान आधृत है, केन्द्र को समवर्त्ती विषयों के सम्बन्ध में कोई अधिशासी शक्ति प्राप्त नहीं है। वह प्रान्तों को आदेश दे सकता है किन्तु सूची 3 के विषयों के सम्बन्ध में बनाये हुए कानूनों को प्रयोग में लाने के लिये वह अपने कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकता, इसी कारण यह संशोधन उपस्थित किया गया है। इसलिये सन् 1935 की योजना के अनुसार जहां तक सूची 3 का सम्बन्ध है, केन्द्र को कानून बनाने का सर्वोपरि अधिकार प्राप्त है किन्तु उसे आदेश देने के अतिरिक्त और कोई अधिशासी शक्ति प्राप्त नहीं है।

इस विधेयक के मूल खण्ड में बहुत विस्तृत व्यवस्था की गई है। उद्देश्य यह है कि समवर्त्ती सूची में उल्लिखित सभी विषयों अथवा किसी विषय के सम्बन्ध में कानूनों को प्रयोग में लाने के लिये केन्द्र को शक्ति दी जाये। यह बिल्कुल भी सम्भव नहीं है क्योंकि यह समझ में आने वाली बात नहीं है कि समवर्त्ती सूची में प्रविष्ट सभी विषयों से सम्बन्धित कानूनों को केन्द्र भारत के सभी प्रान्तों में प्रयोग में ला सकेगा। यह किसी भी अधिक से अधिक शक्तिशाली तथा साधनसम्पन्न केन्द्र के सामर्थ्य के बाहर है। यदि हम प्रान्तों में समवर्त्ती सूची के विषयों के सम्बन्ध में दो प्रकार की व्यवस्था करें तो इससे बहुत गड़बड़ होने की आशंका है। समवर्त्ती सूची में दंड-सम्बन्धी कानून है, व्यवहार-सम्बन्धी कानून है और मध्यस्थ-निर्णय भी है। उसमें अंजन, बौइलर जैसे प्रकीर्ण विषय भी हैं। यदि

[माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत]

हम इन विषयों से सम्बन्धित कानूनों को प्रयोग में लाने के लिये एक ओर प्रान्तों की व्यवस्था करें और दूसरी ओर केन्द्र की, तो बड़ी गड़बड़ हो जायेगी और भी सरकार योग्यता से कार्य न कर सकेगी। यही कारण था कि सन् 1935 के अधिनियम की योजना के अधीन समवर्त्ती सूची के विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने की जिम्मेदारी केवल प्रान्तों को ही सौंपी गई क्योंकि इसी प्रकार वे कानून यथोचित रूप से प्रयोग में आ सकते हैं। मेरा अपना यह विचार है कि ऐसी व्यवस्था करने में समझदारी दिखाई गई। यही उचित भी था। किन्तु साथ ही शासन-काल एक व्यावहारिक कला है और समय-समय पर इस उद्देश्य से परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है कि हमारा कार्य सुयोग्य तथा अल्पव्यय-साध्य हो तथा उससे अधिक से अधिक लोकहित साधन हो और अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो। इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये। इसलिये मेरे विचार से कभी यह सम्भव हो सकता है कि केन्द्र समवर्त्ती सूची में दिये हुए विषयों के सम्बन्ध में प्रबन्ध करे। इसलिये जहां तक सामान्य सिद्धान्त को सम्बन्ध है, मेरा यह विश्वास है कि वर्तमान भारत शासन अधिनियम में यह स्वीकार किया गया है कि साधारणतया समवर्त्ती विषयों के सम्बन्ध में प्रशासन प्रान्तों द्वारा होना चाहिये। मेरे विचार से यह भी स्वीकार किया गया है कि बिना प्रान्तों की सहमति के वर्तमान शासन-प्रणाली में कोई परिवर्तन न किया जाना चाहिये। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम हमेशा केन्द्र की इच्छानुसार चलने के लिये तैयार हैं। वास्तव में अब कलह का कोई कारण नहीं रह गया है और चाहे कोई व्यक्ति कितना ही यह सोचे कि जो प्रणाली अपनाई गई है उससे भिन्न प्रणाली अधिक उपयुक्त होती किन्तु केन्द्र जब कोई निर्णय करता है तो वह व्यक्ति उसे स्वीकार ही नहीं करता परन्तु यह भी समझता है, कम से कम मैं तो यही सोचता हूं कि वही निर्णय ठीक है और सम्भवत: मैं गलत सोच रहा था। इस खण्ड के सम्बन्ध में भी यह बात हो सकती है। किन्तु जब हमने इस खण्ड के प्रावधानों का विश्लेषण किया तो हमने यह देखा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जो कारण बताये गये हैं उनके द्वारा केवल यह सुझाव किया गया है कि श्रम-सम्बन्धी और औद्योगिक विवादों का निर्णय करने के लिये पुनर्विचार औद्योगिक न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त किये जायें। उन उद्देश्यों और कारणों

के विवरण के आधार पर मैंने पहले जिन संशोधनों की सूचना दी थी उन्हें माननीय सदस्यों ने देखा होगा। मैंने यह सुझाव किया था कि ऐसी दशा में वर्तमान स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सूचियों में ही परिवर्तन करना आवश्यक है। जब मैंने इस सम्बन्ध में माननीय गृह-मंत्री, माननीय उद्योग-मंत्री और माननीय श्रम-मंत्री से विचार-विमर्श किया तो हमने देखा कि इसके अतिरिक्त दो तीन और बातें भी ऐसी थीं जिनके सम्बन्ध में उनका यह विचार था कि उनके बारे में किसी प्रकार का प्रावधान रखना आवश्यक है भले ही वे उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लिखित नहीं थे। इसलिये इस संशोधन का स्वरूप बदल दिया गया। एक ओर इसमें इस सिद्धान्त का पोषण किया गया है कि समवर्त्ती विषयों के सम्बन्ध में अधिशासी शक्ति साधारणतया प्रान्तों को ही प्राप्त होगी, किन्तु दूसरी ओर इसमें यह भी स्वीकार किया गया है कि ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जब इस सिद्धान्त को त्यागना पड़ेगा और केन्द्र को आगे बढ़ना होगा और अपने कर्मचारियों को भी नियुक्त करना पड़ेगा। में अभी कह नहीं सकता कि केन्द्र वास्तव में ऐसा करेगा अथवा नहीं करेगा। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि ढाल के दो रुख होते हैं; कभी केन्द्र एक रुख को देखता है तो प्रान्त दूसरे रुख को देखते हैं। इसलिये यह सम्भव है कि एक रुख को देखते हुए दूसरे रुख को कुछ भी महत्त्व न दिया जाये। किन्तु यह भी हो सकता है कि एक ओर जितना लाभ हो उसकी दृष्टि से दूसरी ओर की असुविधा नगण्य हो। इसलिये जब तक हम सारी समस्या को संतुलित दृष्टि से न देखें तब तक यह कहना कठिन है कि किसी विशेष विषय के कार्य को वहन करने वाले किसी माननीय मंत्री को जो मार्ग दिखाई देता है उसी पर चलने से लाभ हो सकता। मेरा यह आशय नहीं है कि इन संशोधनों में उल्लिखित विशेष विषयों के सम्बन्ध में ऐसी कठिनाइयां होंगी। किन्तु अवश्य ही मेरी यह धारणा है कि आधारभूत सिद्धान्त का अनुसरण किया ही जाना चाहिये। अन्यथा बड़ी गड़बड़ पैदा हो जायेगी। इसलिये हममें से कुछ लोगों के सम्मुख यह समस्या रही कि इस विधेयक में समवर्त्ती विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र के लिये सर्वोपरि अधिशासी शक्ति की कल्पना की गई है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, मुझे यह दिखाई दिया कि यह भारत-शासन के तथा किसी भी संघीय ढांचे के आधारभूत सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसके विपरीत केन्द्र के माननीय मंत्रियों का यह अनुभव रहा है कि

[माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत]

इन विशेष विषयों के सम्बन्ध में उन्हें जो शक्ति प्राप्त है वह उनके कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये तथा उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इसलिये हमारे सामने यह मध्यमार्ग दिखाई देता है कि इन विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र को शक्ति दी जानी चाहिये। किन्तु यह शक्ति प्राप्त होने से ही केन्द्र को अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है किन्तु उसे यह स्वतन्त्रता अवश्य प्राप्त हो जाती है कि वह इस उद्देश्य से किसी प्रस्ताव को सभा में उपस्थित करे और यदि उसे यह सभा स्वीकार कर लेती है तो अपने कर्मचारियों को नियुक्त करे। मेरा यह विश्वास है कि यदि इन विषयों के सम्बन्ध में वह प्रान्तीय सरकारों को ही अपना कार्यवाह नियुक्त करे तो इससे काम बहुत आसान हो जायेगा। हम प्रान्तों में उनकी इच्छा पूरी करने के लिये तैयार रहेंगे और उनकी इच्छा हमारे लिये आज्ञा के समान होगी। केन्द्र से हमें जो भी आदेश मिलते हैं उनके अनुसार तथा उनमें जो संकेत होते हैं उनके अनुसार भी चलने का हम यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं और भविष्य में भी इस प्रकार चलने में हम गर्व का ही अनुभव करेंगे। किन्तु मुझे आशा है कि इस प्रकार का प्रबन्ध किया जायेगा कि गड़बड़ पैदा होने का कोई अवसर ही न आयेगा। मैं यह नहीं चाहता कि शासन में किसी प्रकार की गड़बड़ पैदा हो। शासन के क्षेत्र में जहां तक हो सके शक्तियों का दुहरा प्रयोग न होना चाहिये। प्रान्तीय स्वायत्त-शासन की स्पष्ट परिभाषा की गई है। प्रान्तीय शासन के किसी भी अंग में चाहे वह विधायी हो अथवा अधिशासी अथवा न्याय सम्बन्धी, हस्तक्षेप न होना चाहिये ताकि प्रान्त जिम्मेदार ठहराये जा सकें और उनका अपने जिम्मेदारी का ख्याल किसी प्रकार गिरने न पाये। जैसा कि मैं कह चुका हूं हमें व्यावहारिक दृष्टि से कार्य करना है और किन्हीं भी सिद्धान्तों के कारण इस समय की वास्तविक परिस्थिति में जो कुछ आवश्यक है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इसलिये इस संशोधन का समर्थन करते हुए मुझे यह आशा है कि प्रान्तों में कोई नया अधिशासी-वर्ग भेजने की इच्छा प्रकट की जायेगी और इन विषयों के

सम्बन्ध में भी जो कानून बनाये जायेंगे उनको प्रयोग में लाने के लिये प्रान्तों का अधिक से अधिक उपयोग किया जायेगा।

***उपाध्यक्ष:** क्या सरदार पटेल कुछ कहना चाहते हैं?

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** जी नहीं, श्रीमान्, ये प्रस्ताव सहमति के उपरान्त उपस्थित किये गये हैं।

***उपाध्यक्ष:** तब मैं प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं। प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 2, जैसा कि वह संशोधन संख्या 9 द्वारा संशोधित हुआ है और आगे संशोधन संख्या 4 द्वारा संशोधित हुआ है, विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

मैं गलती कर रहा हूं। मैं यह देखता हूं कि मुझे पहले संशोधन संख्या 4 पर मत लेना है।

प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों की मूल-सूची के संशोधन संख्या 9 में प्रविष्टि के लिये प्रस्तावित खंड 2 में 'said Act' (उक्त अधिनियम) शब्दों के स्थान में 'Government of India Act, 1935 (hereinafter referred to as the said Act)' [भारत शासन अधिनियम, सन् 1935 (जो आगे उक्त अधिनियम कहा गया है)] शब्द संख्या तथा कोष्ठक रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"खंड 2 के स्थान में निम्नलिखित रखा जाये:

'2. भारत शासन अधिनियम, सन् 1935, की धारा 8 में संशोधन–

उक्त अधिनियम की धारा 8 में,–

(क) उपधारा (1) के परादिक के खण्ड (1) में 'in this Act' (इस अधिनियम में) शब्दों के बाद 'or in any law made by the Dominion Legislature with respect to any of the

[उपाध्यक्ष]

matters specified in the next succeeding sub-section' (अथवा किसी ऐसे कानून में जिसे औपनिवेशिक विधान-मंडल ने आगे की उपधारा में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में बनाया हो) शब्द प्रविष्ट किये जायें; और

(ख) उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित उपधारा प्रविष्ट की जाये, अर्थात्:—

'(1-A) The matters referred to in clause (i) of the proviso to sub-section (1) of this section are–

(a) industrial and labour disputes;

(b) trade and commerce in, and production, supply and distribution of, products of industries the development of which is declared by Dominion law to be expedient in the public interest;

(c) the sanctioning of cinematographic films for exhibition; and

(d) inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in the Concurrent Legislative List.' "

[(1-ए) इस धारा की उपधारा (1) के परादिक के खंड (1) में इन विषयों का संकेत है—

(क) औद्योगिक तथा श्रम सम्बन्धी विवाद;

(ख) ऐसे औद्योगिक पदार्थों का व्यापार तथा वाणिज्य और उनका प्रदाय तथा वितरण जिनके सम्बन्ध में औपनिवेशिक कानून द्वारा यह घोषणा की गई हो कि उनका विकास लोकहित की दृष्टि से आवश्यक है;

(ग) सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों के प्रदर्शन की मंजूरी; और

(घ) समवर्त्ती विधान-सूची के किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में परिपृच्छा तथा आंकड़े।]

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं खण्ड 2 पर, संशोधित रूप में, सभा का मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधान का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** अब सभा खण्ड 3 पर विचार करेगी।

संशोधन संख्या 15 से, जो श्री कुलधर चालिया के नाम से है, प्रस्ताव का ही शून्यन हो जाता है इसलिए उसे उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती। संशोधन संख्या 16 में प्रथम विकल्प से भी, जो श्री टी. प्रकाशम् के नाम से है, प्रस्ताव का ही शून्यन हो जाता है और इसलिए उसे उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती। श्री टी. प्रकाशम् संशोधन संख्या 16 में दिए हुए दूसरे विकल्प को उपस्थित कर सकते हैं। मेरे विचार से प्रस्तावक महोदय उसे उपस्थित करना नहीं चाहते। मेरे विचार से इस खण्ड के सम्बन्ध में आगे के तीन संशोधन भी, अर्थात् संशोधन संख्या 17, 18 और 19 उपस्थित नहीं किये जा रहे हैं।

अब मैं खण्ड 3 पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 3 विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 3 के विधेयक का अंग बना लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** अब सभा खण्ड 4 पर विचार करेगी, राय बहादुर लाला राजकुंवर के नाम से संशोधन संख्या 20 को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती क्योंकि उससे प्रस्ताव का ही शून्यन हो जाता है।

मेरे विचार से आगे के दो संशोधन, अर्थात् संशोधन संख्या 21 और 22, उपस्थित नहीं किये जा रहे हैं।

अब मैं खण्ड 4 पर सभा का मत लेता हूं।

[उपाध्यक्ष]

प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 4 विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 4 विधेयक का अंग बना लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** अब हम संशोधन संख्या 23 पर आते हैं जो माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के नाम से है।

***माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत:** श्रीमान्, मैं संशोधन को उपस्थित कर रहा हूं और मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"खण्ड 4 के बाद निम्नलिखित नया खण्ड प्रविष्ट किया जाये:—

4-ए, नवीन धारा 108-ए की प्रविष्टि—उक्त अधिनियम के भाग 5 के अध्याय 2 में दी हुई धारा 109 के पहले निम्नलिखित धारा प्रविष्ट की जायेगी, अर्थात्:—

'108-A. No Bill or amendment providing for the exercise of the executive authority of the Dominion with respect to any of the matters specified in sub-section (1-A) for section 8 shall be introduced or moved in - the Dominion Legislature except with the previous sanction of the Governor-General, and the Governor-General shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment unless he is satisfied that the views of the Governments of the Provinces and the Acceding States concerned have been ascertained..'"

Previous sanction of Governor-General for certain legislative proposals.

[108-ए. कोई विधेयक अथवा संशोधन जिसका उद्देश्य कुछ विधायी प्रस्तावों के सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल की पूर्व मंजूरी धारा 8 की उपधारा (1-ए) में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में उपनिवेश द्वारा अधिशासी प्राधिकार के बारे में प्रावधान करना हो उस समय तक औपनिवेशिक विधान-मंडल में उपस्थित न किया जायेगा जब तक कि गवर्नर-जनरल की पहले मंजूरी न ले ली गई हो और गवर्नर-जनरल ऐसे किसी विधेयक को उपस्थित करने अथवा ऐसे

किसी संशोधन को प्रस्तावित करने की मंजूरी उस समय तक न देगा जब तक कि उसे इस सम्बन्ध में सन्तोष न हो जाय कि प्रान्तों और सम्बन्धित समाविष्ट राज्यों की सम्मति ले ली गई है।]

श्रीमान्, इस संशोधन में मैंने केवल यह सुझाव उपस्थित किया है कि धारा 8 में अथवा अभी हमने जिस खण्ड 2 को स्वीकार किया है उसमें उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में सभा में कोई विधेयक अथवा संशोधन उपस्थित करने के पूर्व प्रान्तों से परामर्श लिया जाना चाहिये और यह प्रमाणिक रूप से किया जाना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में जो लिखा-पढ़ी हुई हो उसे सदस्यों के सम्मुख रखा जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह-मंत्री को इस संशोधन का सार स्वीकार्य है। जहां तक इसके रूप का सम्बन्ध है मुझे उसकी बहुत चिन्ता नहीं है। इसलिये यदि वे इस संशोधन के सार को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं तो इसके वर्तमान रूप में मैं इसे वापस लेने के लिये तैयार हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं।

***उपाध्यक्षः** इस संशोधन पर एक संशोधन है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** वह उपस्थित नहीं किया जा रहा है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेलः** मैं इस संशोधन के सार के सम्बन्ध में माननीय पंडित पंत से पूर्णतया सहमत हूं। इसलिये मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि बिना प्रान्तों को अपनी सम्मति प्रकट करने का यथोचित अवसर दिये हुए केन्द्रीय विधान-मंडल में इस प्रकार का कोई विधेयक उपस्थित न किया जायेगा। इसलिये उचित यह होगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

***माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंतः** सभा की अनुमति से मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।

***उपाध्यक्षः** अब हम खण्ड 5 पर आते हैं। संशोधन संख्या 24 इस प्रकार है कि यह खण्ड निकाल दिया जाये और इसलिये उसे उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती। संशोधन संख्या 28, जो मि. नजीरुद्दीन अहमद के नाम से है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"खण्ड 5 में प्रस्तावित धारा 126-ए के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये....."

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह बता सकता हूं कि चूंकि विधेयक के प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य यह है कि यह खण्ड वापस ले लिया जाये इसलिये यह संशोधन अनावश्यक है और उसे उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** हमने खण्ड 2 में एक परिवर्तन स्वीकार किया है और इसलिये अब खण्ड 5 को रखने का कोई अर्थ नहीं है। मेरे विचार से वह निकाल दिया जाना चाहिये।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 5 विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव गिर गया।

***उपाध्यक्ष:** अब हम खण्ड 6 पर जाते हैं। संशोधन संख्या 29 को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती क्योंकि इससे प्रस्ताव का खण्डन होता है।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 38 जो मि. नजीरुद्दीन अहमद के नाम से है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो हम यह मान लेंगे कि संशोधन पढ़ दिया गया है। आप उस पर अपनी सम्मति प्रकट कर सकते हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"खण्ड 6 में प्रस्तावित नवीन धारा 290-ए की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अन्त में आने वाला शब्द 'or' (अथवा) उपखण्ड (1) का पूरा खण्ड (ख) और उपखण्ड (1) का परादिक निकाल दिया जाये।"

अथवा, विकल्पत:

"खण्ड 6 में, प्रस्तावित नवीन धारा 290-ए की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में 'shall be administered' (प्रशासित होंगे) शब्दों के

स्थान में 'shall with their consent be administered' (उनकी सहमति से प्रशासित होंगे) शब्द रखें जायें।"

अथवा, विकल्पत:

"खण्ड 6 में, प्रस्तावित नवीन धारा 290-ए के उपखण्ड (1) में 'the Governor-General may by order direct' (गवर्नर-जनरल आज्ञा देकर आदेश कर सकता है) शब्दों, से आरम्भ होने वाले तथा उक्त उपधारा के खण्ड (ख) तक के सभी शब्दों के स्थान में निम्नलिखित रखा जाये:—

'the Governor-General may by Order direct that the State or the group of States shall be administered in all respects as if the State or the group of States were—

(a) a Governor's or a Chief Commissioner's province' or

(b) with the consent of the State or States concerned, as part of a Governor's province.' "

[गवर्नर-जनरल आज्ञा देकर यह आदेश दे सकता है कि कोई राज्य अथवा राज्यों का समूह सभी विषयों के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रशासित होगा जैसे कि वह राज्य अथवा राज्यों का समूह—

(क) गवर्नर अथवा चीफ कमिश्नर का प्रान्त हो, अथवा

(ख) उस राज्य अथवा सम्बन्धित राज्यों की सहमति से गवर्नर के प्रान्त का भाग हो।]

मुझे खण्ड 6 की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना है जिसमें नवीन धारा 290-ए को प्रविष्ट करने का प्रस्ताव है। धारा 290-ए की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के इस अंश से मुझे आपत्ति है कि "कोई राज्य अथवा राज्यों का समूह सभी विषयों के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रशासित होगा जैसे कि वह राज्य अथवा राज्यों का समूह गवर्नर अथवा चीफ कमिश्नर का प्रान्त हो..." मेरा यह कहना है कि राज्यों ने एक संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं जो समाविष्टि संविदा कही जाती है। उस संविदा की शर्तों के अधीन यह प्रस्ताव जिससे उनको वैसा ही समझा जायेगा जैसे कि वे गवर्नर अथवा चीफ कमिश्नर के प्रान्त के भाग हों, कानून के विरुद्ध होगा। श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि यदि यह किसी सम्बन्धित राज्य अथवा राज्यों की सहमति से किया जाये तो सब कुछ ठीक हो

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

जायेगा। इसलिये मेरे संशोधन का पहला भाग इस प्रकार है कि पूरा खण्ड (ख) निकाल दिया जाये। संशोधन के दूसरे भाग का रूप वैकल्पिक है और वह इस प्रकार है कि उस खण्ड को रहने दिया जाये किन्तु उसके साथ 'सम्बन्धित राज्य अथवा राज्यों की सहमति से' शब्द जोड़ दिये जायें। तीसरा विकल्प इस प्रकार है कि वह राज्य गवर्नर के अथवा चीफ कमिश्नर के एक स्वतन्त्र शान्त अथवा उसके भाग के रूप में केवल उसकी सहमति से शासित हो।

मैंने इस कारण इन संशोधनों को उपस्थित किया है: यह दिखाई देता है कि कुछ राज्यों ने, जो संक्षेप में पूर्वी राज्यों के रूप में वर्णित हैं, केन्द्रीय सरकार से इस आशय की संविदाओं पर हस्ताक्षर किये हैं कि अमुक नरेश केन्द्रीय सरकार को 'राज्य के शासन के लिये पूर्ण तथा एकात्मक प्राधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियां समर्पित करता है और राज्य के प्रशासन को एक निश्चित तिथि से औपनिवेशिक सरकार के हाथ में देने के लिये सहमत है और औपनिवेशिक सरकार को इस प्रकार की शक्तियों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है और वह जिस प्रकार उचित समझे और जिस साधन द्वारा उचित समझे इनका प्रयोग कर सकती हैं। मेरे विचार से इस संविदा का अर्थ यह है कि प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में राज्य ने अथवा उसकी ओर से नरेश ने भारत सरकार को राज्य का प्रबन्ध अथवा प्रशासन सौंप दिया है। भारत सरकार को इस प्रकार जो शक्ति समर्पित की गई है उसका सीधे-सीधे प्रयोग हो सकता है। अथवा किसी साधन द्वारा प्रयोग हो सकता है। मेरी यह आपत्ति है कि यह प्रबन्ध अथवा प्रशासन इस प्रकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य का अस्तित्व ही नष्ट हो जाये। हुआ यह है कि इनमें से अधिकांश राज्य इन संविदाओं के आधार पर उड़ीसा के प्रान्त में मिला दिये गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि इससे उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। भारत शासन अधिनियम के अधीन उड़ीसा गवर्नर का प्रान्त है। जहां तक इन छोटे-छोटे राज्यों का सम्बन्ध है, यद्यपि इनके विधान अस्पष्ट हैं किन्तु वे उस प्रान्त के विधान से भिन्न हैं जिसमें वे मिलाये जा रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि यद्यपि भारत सरकार को इन राज्यों का सीधे-सीधे

अथवा किसी साधन द्वारा शासन अथवा प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है परन्तु इन राज्यों को गवर्नर के किसी प्रान्त का अंग बनाने की शक्ति नहीं दी गई है। उड़ीसा का प्रान्त पूर्ण रूप से अथवा पूर्ण अधिकार से उनका प्रबन्ध कर सकता था किन्तु इस प्रकार कि उनके अस्तित्व अथवा स्वरूप पर कोई प्रभाव न पड़े। ये उड़ीसा के अंग तो बनाये ही नहीं जा सकते। मैं सभा से यही निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक मेरे माननीय मित्र श्री अनन्तशयनम् आयंगर की बात का सम्बन्ध है उन्होंने यह कहा है कि स्थिति यह नहीं है कि किसी राज्य को गवर्नर के प्रान्त में समाविष्ट किया जा रहा है परन्तु इस प्रकार है 'जैसे कि' वह गवर्नर के प्रान्त का अंग हो गया हो। यद्यपि शब्दों में कुछ अन्तर अवश्य है परन्तु व्यवहार में, मेरे विचार से, इससे कुछ भी अन्तर न पड़ेगा। वास्तव में ये राज्य प्रान्त ही के समान समझे जायेंगे और कार्य रूप में ये प्रान्त में ही पूर्ण रूप से समाविष्ट किये जा रहे हैं। 'जैसे कि' शब्दों से स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता। उन पर जोर देने का अर्थ यह है कि हम वास्तविक स्थिति से मुंह मोड़ रहे हैं। वास्तव में वे उड़ीसा प्रान्त के अंग बनाये जा चुके हैं।

मुझे आशा है कि सभा इस सुविदित कानूनी स्थिति पर विचार करेगी। वास्तव में जब अंग्रेज चले गये तो इन राज्यों को एक प्रकार की स्वतंत्रता और सर्वसत्ता प्राप्त हो गई। विधान के मसौदे पर विचार करने के लिये जो वादानुवाद हुआ था उसमें डॉ. अम्बेडकर ने इसे स्वीकार किया था। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि इन राज्यों को किसी प्रकार की सर्वसत्ता प्राप्त नहीं है किन्तु यथोचित विचार करने पर माननीय डॉक्टर महोदय ने, सम्भवत: भारत सरकार की ओर से और सरकार की पूर्ण सहमति से स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया था कि उन्हें किसी न किसी प्रकार की सर्वसत्ता प्राप्त है ही। चाहे आप उसे परिवर्तित सर्वसत्ता कहिये अथवा निम्न प्रकार की सर्वसत्ता कहिये परन्तु उन्हें किसी न किसी प्रकार की सर्वसत्ता प्राप्त थी ही।

इसके सम्बन्ध में भारत शासन अधिनियम की एक संशोधित धारा इस प्रकार है ये राज्य समाविष्ट हो सकते हैं चाहे यह भिन्न पत्रों के आधार पर ही हो। किन्तु समाविष्टि का आशय केवल समाविष्टि की शर्तों तक ही सीमित है। भारत

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

शासन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) से यह स्पष्ट हो जाता है।

वास्तव में जो शक्ति दी गई है और जिन विषयों के सम्बन्ध में शक्ति दी गई है वह स्पष्ट शब्दों में वर्णित होनी चाहिये। इस स्थिति में यह सब इस पर निर्भर है कि आप पत्रों की किस प्रकार व्याख्या करते हैं। एक समाविष्टि पत्र है और एक दूसरा पत्र भी है जिस पर 14 अथवा 15 दिसम्बर सन् 1947 की तिथि पड़ी हुई है। इन तिथियों में अथवा इसी बीच राज्यों के नरेशों ने इस प्रकार के अन्य कई पत्रों पर भी हस्ताक्षर किये। ये दो पत्र महत्त्वपूर्ण हैं और इनकी शर्तें भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगी और सब कुछ इस पर निर्भर रहेगा कि वास्तव में केन्द्रीय सरकार को कौन से अधिकार, क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार समर्पित किये गये हैं विशेषत: या इसे दृष्टि में रख कर उसे किसी राज्य को गवर्नर के प्रान्त में समाविष्ट करने अथवा उसका अंग बनाने की कितनी शक्ति प्राप्त है। प्रश्न केवल यह है कि क्या यह शक्ति वास्तव में स्पष्ट शब्दों में और स्पष्ट अर्थ में दी गई है अथवा नहीं। दूसरे पत्र के सम्बन्ध में जिसमें 14 अथवा 15 दिसम्बर की तिथि पड़ी हुई है, और जिसका वास्तव में महत्त्व है, मैंने यह देखा कि उसकी जो व्याख्या मैं सभा के सम्मुख रख रहा हूं उसके पक्ष में तथा उसके विरुद्ध कई बातें हैं जिन्हें मैं सभा को स्पष्टतया बता देना चाहता हूं।

इस पत्र की प्रस्तावना में यह वाक्यावली है—

> "चूंकि यह राज्य के तथा उसके लोगों के तात्कालिक हित में और नरेश भी इसके लिये इच्छुक हैं कि राज्य का प्रशासन यथाशीघ्र उड़ीसा के प्रान्त में समाविष्ट कर दिया जाये।"

वास्तव में प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में यह इच्छा प्रकट की गई है कि सम्बन्धित राज्य उड़ीसा के प्रान्त में समाविष्ट किये जायें।

***उपाध्यक्ष:** यद्यपि मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे इन विषयों के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी है किन्तु मुझे यह प्रतीत होता है कि आप इस सम्बन्ध में सामान्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। आपको अपने संशोधन के बारे में बोलना चाहिये। इस समय सामान्य वादानुवाद नहीं हो रहा है। ये बातें सामान्य वादानुवाद के समय अधिक उपयुक्त होतीं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मुझे आपका निर्णय शिरोधार्य है किन्तु जैसा कि मैं आगे बताऊंगा इन बातों का इस विषय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।

***उपाध्यक्ष:** मुझे खेद है कि मैं आप से सहमत नहीं हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप संशोधन पर ही बोलिये।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** संशोधन इन्हीं विषयों के सम्बन्ध में है। मैं सभा को यह बता रहा हूं कि मेरे तर्क के विरोध में क्या बातें हैं। मुझे इन बातों को भी स्पष्ट कर देना चाहिये।

***उपाध्यक्ष:** यह ठीक है। आपके अपने विचार हैं किन्तु सभा की भी कुछ सम्मति है और यह हो सकता है कि एक सदस्य की सम्मति से 299 सदस्यों की सम्मति अधिक महत्त्वपूर्ण हो।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है किन्तु प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार है।

***उपाध्यक्ष:** आपको तर्क-वितर्क न करना चाहिये बल्कि मेरे सुझाव के अनुसार चलना चाहिये।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** आपका सुझाव क्या है?

***उपाध्यक्ष:** कि आप अपने संशोधन पर बोलें।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि मैं अपने संशोधन पर ही बोल रहा था।

***उपाध्यक्ष:** तब आप उस पर सीधे-सीधे बोलें और गोलमोल ढंग से न बोलें।

श्री नजीरुद्दीन अहमद: मैं गोलमोल ढंग से नहीं बोल रहा हूं।

***उपाध्यक्ष:** मैं यह देख रहा हूं कि आप तर्क-वितर्क कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा मत ही अन्तिम है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद: निस्सन्देह, श्रीमान्। कठिनाई यह है कि यह विषय बहुत पेचीदा है। मेरा यह निवेदन है कि समाविष्टि की इच्छा का प्रदर्शन, जिससे

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

मेरे तर्क का खण्डन होता है, केवल प्रस्तावना में किया गया है और संविदा में नहीं किया गया है। परन्तु संविदा ही व्यवहार में आती है और निर्वचन का यह नियम सर्वविदित है कि यदि प्रस्तावना में कोई इच्छा अथवा सम्मति प्रकट की गई हो तो उस समय तक उसका कोई मूल्य अथवा प्रभाव न होगा जब तक कि वह मुख्य पत्र में भी प्रविष्ट न कर दी जाये। यह एक सुनिश्चित सिद्धान्त है। मेरा यह निवेदन है कि अनुच्छेद 1 में, जिसके सम्बन्ध में ही यह प्रश्न है, 'पूर्ण तथा एकात्मक प्राधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियों' का उल्लेख है किन्तु इनका सम्बन्ध केवल राज्य के शासन तथा प्रशासन से है। केवल उपरोक्त कारणों से राज्य इसके लिये सहमत हुए कि उनका प्रशासन हस्तान्तरित किया जाये। इस सम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण बातें हैं। एक बात यह है कि संविदा का सम्बन्ध राज्य के प्रशासन से है और यह कि वह प्रशासन हस्तान्तरित करता है। समाविष्टि संविदा पर हस्ताक्षर करते समय उसकी जो कुछ भी सर्वसत्ता अवशेष रह गई थी उसे वह हस्तान्तरित नहीं करता। उस सर्वसत्ता से अधिकार लेकर जो कुछ बच जाता है वह अवशेष रहता ही है। उस पत्र में कहीं भी 'समाविष्टि' का उल्लेख नहीं है। केवल प्रशासनाधिकार हस्तान्तरित किया गया है। मेरा यह निवेदन है कि जो सम्पत्ति आपको सौंपी गई हो उसका प्रशासन करने में आप उसका स्वरूप नहीं बदल सकते। उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति से किसी कारोबार का जैसे कि चीनी के कारोबार का प्रशासन करने के लिये कहा जा सकता है। आप किसी आढ़तिये से अथवा प्रशासक से ऐसा करने के लिये कहते हैं और यदि उस आढ़तिये अथवा प्रशासक का क्विनीन का भी कारोबार हो और वह चीनी को क्विनीन में बदल दे तो कोई मीठी चीज पैदा करने के स्थान में वह कड़वी चीज पैदा करता है। श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि आप इसी प्रकार की एक बात करने जा रहे हैं। आपसे एक ऐसे राज्य का प्रशासन करने को कहा जा रहा है जिसके अपने कानून तथा नियम और अपना विधान तथा शासन है। आप अब उनके स्वरूप को ही बदल देना चाहते हैं। और उन्हें गवर्नर के प्रान्त का अंग बना देना चाहते हैं। जिसके भिन्न नियम और भिन्न विधान हैं। केवल दोनों

भूभागों का सम्मिलन ही नहीं होने जा रहा है किन्तु पूर्ण समाविष्टि हो रही है जिसके फलस्वरूप राज्य का अपना स्वरूप तथा अस्तित्व ही मिट जाता है। उदाहरण के लिये सदि विपत्तिग्रस्त कोई मनुष्य अपनी पत्नी को किसी मित्र की रक्षा में रख जाये और वह मित्र किसी दूसरे मित्र को उसकी पत्नी दे दे और वह उसे अपनी पत्नी बना ले तो यह कैसी स्थिति होगी? यही किया जाने वाला है।

***उपाध्यक्ष:** यह कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** प्रशासन की शक्ति का अर्थ है प्रबन्ध की शक्ति। किसी चीज का प्रशासन करने अथवा प्रबन्ध, करने में आप उसका स्वरूप नहीं बदल सकते हैं। साधारण शब्दों में स्थिति इस प्रकार है। माननीय डॉ. पटेल ने इस ओर संकेत किया था कि राज्यों के सम्बन्ध में कानूनी सलाह ली गई थी। कुछ सम्मतियां है और वे मुझ जैसे साधारण वकीलों की सम्मतियां नहीं हैं बल्कि सर तेज बहादुर जैसे लोगों की वजनी सम्मतियां हैं जो समाविष्टि के कानूनी होने के विरुद्ध हैं। उनका स्पष्ट रूप से यह मत है और मेरे विचार से भारत सरकार को यह सूचित कर दिया गया है कि यह कानून के विरुद्ध है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** इस सभा का बाहर के लोगों की कानून सम्बन्धी सम्मति से कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** यह ठीक है। इस प्रश्न पर सभा को बाहर की सम्मति के आधार पर नहीं बल्कि इसी के आचित्य को देख कर विचार करना चाहिये। मैं केवल यह निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में बहुत वजनी सम्मति दी गई है और इस विषय पर सावधानी से विचार करना चाहिए। इस स्थिति में मेरा यह निवेदन है कि उपखण्ड (1) का विषय (ख) संविदा के प्रावधानों के विरुद्ध है। मेरा यह निवेदन है कि संविदा पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिये। मैं यह देखता हूं कि संविदा में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पर एक प्रकार का राज्य बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का बनाया जा सकता है। यही साधारण तर्क मैं उपस्थित करना चाहता हूं। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

हूं कि केवल सभी बातों को नियमित बनाने के उद्देश्य से ही मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। यदि कोई बात अनियमित है अथवा कोई बात रह गई है तो मेरे विचार से नरेशों से अपने स्वार्थों की दृष्टि से भी इस अधिकार को हस्तान्तरित करने के उद्देश्य से एक दूसरे पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा जाये ताकि इन राज्यों को गवर्नर के प्रान्त का अंग बनाया जा सके। यदि आगे चल कर कभी...

***उपाध्यक्ष:** मैं माननीय सदस्य को बीस मिनट दे चुका हूं

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** क्या आप यह चाहते हैं कि मैं समाप्त कर दूं?

***उपाध्यक्ष:** जी हां।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, धन्यवाद।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"खण्ड 6 में प्रस्तावित नवीन धारा 290-ए की उपधारा (3) में 'give such' (देते हैं) शब्दों के बाद 'supplemental' (अनुपूरक) शब्द रखा जाये।"

"यह बहुत कुछ एक रस्मी संशोधन है। खण्ड में 'incidental' (आनुसंगिक) और 'consequential' (समवर्त्ती) शब्द आये हैं। 'supplemental' (अनुपूरक) शब्द भी आवश्यक है।"

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** मैं इसे स्वीकार करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 64 जिसे श्री हिम्मतसिंहका ने प्रस्तावित किया है।

***श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"खण्ड 6 में प्रस्तावित नवीन धारा 290-बी में, 'by the Government of' (वहां की सरकार द्वारा) शब्दों के स्थान में 'in all respects by' (सभी विषयों के सम्बन्ध में) शब्द रखे जायें।"

धारा 290-ए में कुछ समाविष्ट होने वाले ऐसे राज्यों के प्रशासन के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है जो चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों अथवा गवर्नरों के प्रान्तों के साथ मिलाये जा रहे हैं। यह उस मामले से भिन्न है जिसमें चीफ कमिश्नर के प्रान्त का कोई क्षेत्र किसी समाविष्ट होने वाले राज्य में मिलाया जा रहा है। इसलिए मैं यह सुझाव रख रहा हूं कि सभी विषयों के सम्बन्ध में उसका प्रशासन होगा ताकि जिस राज्य में वह समाविष्ट किया जाय उसके सभी विषयों के सम्बन्ध में प्रशासन करने के अधिकार पर संदेह प्रकट न किया जाये चाहे वे विषय अधिशासी शक्ति से सम्बन्ध रखते हों अथवा विधायी शक्ति से अथवा अन्य प्रकार की किसी शक्ति से। यह पहले के प्रावधान के अनुरूप ही होगा।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** मैं इसे स्वीकार करता हूं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"खण्ड 6 में, प्रस्तावित नवीन धारा 290-बी की उपधारा (2) में 'contain such' (होंगे) शब्दों के बाद 'supplemental' (अनुपूरक) शब्द रखा जाये।"

यह संशोधन उसी संशोधन के समान है जो पहले उपस्थित कर चुका हूं और मुझे आशा है कि यह सभा उसे स्वीकार कर लेगी।

***उपाध्यक्ष:** खण्ड 6 पर अब सामान्य वादानुवाद हो सकता है। मैं राज्यों के लोगों से बोलने के लिए कहूंगा क्योंकि मुख्यत: उन्हीं लोगों को इस प्रश्न से दिलचस्पी है। श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय। मुझे खेद है कि मैं आपको बहुत समय न दे सकूंगा।

***श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय** (मध्य भारत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का अधिक समय न लूंगा। मुझे विशेषत: मि. नजीरुद्दीन द्वारा उपस्थित संशोधन का उत्तर देना है। मैं एक राज्य से यहां उपस्थित हुआ है। और मेरा यह कहना है कि इस प्रश्न से राज्यों के नरेशों की उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि वहां के लोगों की। यद्यपि कानून सभी जगह प्रयोग में आता है किन्तु वास्तव में यह कोई कानूनी प्रश्न नहीं है। यह एक राजनैतिक प्रश्न है। हम इस देश को विभिन्न क्षेत्रों तथा राज्यों में विभाजित नहीं करना चाहते और इसी लिये राज्यों के लोग

[श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय]

बराबर यही मांग करते आये हैं कि विभिन्न राज्यों को समाप्त किया जाये और एक भारत का निर्माण किया जाय। इसलिये राज्य-विभाग ने जो कुछ भी किया है और जो कोई भी संविदाओं पर हस्ताक्षर किये हैं उन से लोगों का हितसाधन ही होगा। आखिर तथाकथित ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों के लोग और राज्यों के लोग एक ही तो हैं। इसलिये जो कुछ भी किया गया है उससे देश का हित ही होगा। श्रीमान्, मैं यह कहूंगा कि कानूनी दृष्टि से 'जैसे कि' शब्द पर्याप्त हैं और इनसे जितना विभेद आवश्यक है वह हो जाता है। मेरी तो यह इच्छा है कि इन राज्यों का भारत के मानचित्र में कोई स्थान ही न होना चाहिये और विभेद भी न रखा जाना चाहिये। इसलिये मुझे यह कहना है कि इस धारा के सम्बन्ध में कानूनी आपत्तियों की ओर हमें कोई ध्यान न देना चाहिये और इसे मूल रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री रत्न लाल मालवीय (मध्यप्रान्त और बरार : राज्य): अध्यक्ष महोदय, मैं सरदार पटेल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के संशोधन और खासकर आर्टिकल 6 के समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ की स्टेटों की मनशा खासतौर से इस प्रकार थी कि ये सब स्टेटें मर्ज हो जायें जिससे वे प्रान्त के मुताबिक उन्नति कर सकें और देश की उन्नति में अपना हाथ बंटा सकें।

जब सरदार पटेल 14 दिसम्बर सन् 1947 को कटक पहुंचे थे तब उस वक्त इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने उन्हें इस बात के लिये एक मेमोरेंडम दिया था कि छत्तीसगढ़ की स्टेटों को भी जल्दी मर्ज कर दिया जाय, जैसा उड़ीसा के लिये किया गया। हमें यह खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ की स्टेट सी. पी. में मर्ज कर दी गई। पहली जनवरी को मर्जर के बाद स्टेटों में हर जगह उत्सव किये गये और हमने मर्जर के उपलक्ष्य में खुशियां मनाईं।

पहली जनवरी के बाद यानी जब स्टेटें मर्ज हो चुकीं उसके बाद प्रान्तीय सरकार ने काफी कोशिश इस बात की की, कि स्टेटों में सुधार हो और उन्होंने कुछ सुधार भी जल्दी-जल्दी पेश किये जिससे लोगों को इस बात की तसल्ली हुई कि मर्जर के बाद उन्हें फायदा हुआ है मगर प्रान्तीय सरकार का स्टेटों के

प्रतिनिधियों के साथ सहयोग नहीं हो सका जिसकी वजह से वहां कुछ अशान्ति सी पैदा हो गई जो कि अब तक है। इस बात की जरूरत थी कि जो अमेंडिंग एक्ट पेश है, वह पहले पास हो जाता जिससे स्टेटों के प्रतिनिधियों को यह हक मिलता कि वे प्रान्तीय सरकार को सलाह देते और स्टेटों के शासन में उनकी राय के मुताबिक काम होता। पहली जनवरी को मर्जर के बाद एक माह के अन्दर उड़ीसा में वहां की स्टेटों का एडवाइजरी बोर्ड बना दिया गया और उनके प्रतिनिधियों को एक्जीक्यूटिव कौंसिल में ले लिया गया। पर सी. पी. की सरकार ऐसा नहीं कर सकी। सी. पी. की स्टेटों के प्रतिनिधियों ने इस बात की कोशिश की और यदि सी. पी. की सरकार ने भी उड़ीसा की तरह स्टेटों के शासन में सहयोग प्राप्त करने के लिये पहले ही एडवाइजरी कौंसिल बना दी होती और एक्जीक्यूटिव कौंसिलर ले लिये होते तो स्टेटों में अशान्ति न होने पाती। किन्हीं भी दिक्कतों के कारण सी. पी. सरकार ने ऐसा न किया हो पर अब ये दिक्कतें इस दफा के पास हो जाने से दूर हो जाती हैं।

इस दरमियान में सभापतिजी, मैं आपको बतला दूं जब हमारे प्रतिनिधि सी. पी. सरकार के सहयोग में नहीं थे तो उसका नतीजा यह हुआ कि अफसरों ने जो रिपोर्ट कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जिम्मेदार आदमियों के खिलाफ की, वह सरकार को स्वाभाविक ही मंजूर करनी पड़ी जिस वजह से प्रारम्भ में वहां कुछ गड़बड़ हो गई।

इसके साथ ही साथ हमारा ताल्लुक उनके साथ न होने से यह भी हुआ कि कहीं-कहीं लगान की वसूली में बड़ी ज्यादती हुई। जब हम अपनी फरयाद लेकर प्रधान मंत्री और प्रान्तीय सरकार के पास पहुंचे तो हमसे अफसर नाराज हो गये और हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकद्दमे चलाये गये। और अभी हाल की बात है कि कई कार्यकर्ताओं को जेल की सजा दी गई है। इसी तरह जंगल के मामले में यह हुआ कि रेट्स बुरी तरह से बढ़ा दिये गये जिससे काफी असंतोष स्टेटों में फैल गया है। साथ ही साथ यह भी हुआ कि जो फैसीलिटी स्टेटों को पहले थीं वह करटेल कर दी गई जिससे भी असंतोष पैदा हो गया। यदि हमारा सहयोग होता जैसा कि इस दफा के अनुसार हमारा सहयोग आगे होगा

[श्री रत्न लाल मालवीय]

तो जो दिक्कतें अभी हमारे सामने आ चुकी हैं और जो परिस्थितियां वहां पैदा हो गई हैं वह पैदा न होतीं।

इस दफा के पास हो जाने से जनता के प्रतिनिधियों को उनकी सेवा करने में मदद मिलेगी और वह अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की दफा (6) का स्वागत करता हूं और सरदार पटेल को उनके इस बिल के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

***उपाध्यक्ष:** सरदार पटेल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** मुझे कुछ नहीं कहना है।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं संशोधनों पर एक-एक करके मत लूंगा।

संशोधन संख्या 38 जो मि. नजीरुद्दीन अहमद के नाम से है।

प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 6 में प्रस्तावित नवीन धारा 290-ए की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अन्त में आने वाला शब्द 'or' (अथवा) उपखण्ड (1) का पूरा खण्ड (ख) और उपखण्ड (1) का परादिक निकाल दिया जाये।"

अथवा, विकल्पत:

"खण्ड 6 में, प्रस्तावित नवीन धारा 290-ए की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में 'shall be administered' (प्रशासित होंगे) शब्दों के स्थान में 'shall with their consent be administered' (उनकी सहमति से प्रशासित होंगे), शब्द रखे जायें।"

अथवा, विकल्पत:

"खण्ड 6 में प्रस्तावित नवीन धारा 290-ए के उपखण्ड (1) में "the Governor-General may by Order direct" (गवर्नर-जनरल

आज्ञा देकर आदेश कर सकता है)। शब्दों से आरम्भ होने वाले तथा उक्त उपधारा के खण्ड (ख) तक के सभी शब्दों के स्थान में निम्नलिखित रखा जाये:—

'the Governor-General may by Order direct that the State or the group of States shall be administered in all respects as if the State or the group of States were–

(a) a Governor's or a Chief Commissioner's province, or

(b) with the consent of the State or States concerned, as part of a Governor's province.' "

[गवर्नर-जनरल आज्ञा देकर यह आदेश दे सकता है कि कोई राज्य अथवा राज्यों का समूह सभी विषयों के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रशासित होगा जैसे कि वह राज्य अथवा राज्यों का समूह–

(क) गवर्नर अथवा चीफ कमिश्नर का प्रान्त हो, अथवा

(ख) उस राज्य अथवा सम्बन्धित राज्यों की सहमति से गवर्नर के प्रान्त का भाग हो।]

संशोधन गिर गया।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 56 जो श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के नाम से है।

प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 6 में, प्रस्तावित नवीन धारा 290-ए की उपधारा (3) में 'give such' (देते हैं) शब्दों के बाद 'supplemental' (अनुपूरक) शब्द रखा जाये।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 64 जिसे श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका ने उपस्थित किया है।

[उपाध्यक्ष]

प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 6 में, प्रस्तावित नवीन धारा 290-बी में 'by the Government of' (वहां की सरकार द्वारा) शब्दों के स्थान में 'in all respects by' (सभी विषयों के सम्बन्ध में) शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 75 जो श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के नाम से है।

प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 6 में, प्रस्तावित नवीन धारा 290-बी की उपधारा (2) में 'contain such' (होंगे) शब्दों के बाद 'supplemental' (अनुपूरक) शब्द रखा जाये।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

"खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।"

***उपाध्यक्ष:** अब हम खण्ड 7 को उठाते हैं। संशोधन संख्या 80 जो श्री टी. टी. कृष्णमाचारी के नाम से है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"खण्ड 7 के उपखंड (ए) में, संघीय विधायी सूची के प्रस्तावित पैरा 34 में से 'trade and commerce (whether or not within a province) in, and production, supply and distribution of, products of such industries' [इस प्रकार के उद्योग धंधों की वस्तुओं में व्यापार और वाणिज्य (चाहे वह किसी प्रान्त में हो

अथवा न हो) और उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण] शब्द निकाल दिये जायें।"

श्रीमान्, आरम्भ में इस संशोधन को उपस्थित करने का उद्देश्य कुछ दूसरा था किन्तु अब यह इसलिये आवश्यक है कि अनुच्छेद 2 में परिवर्तन कर दिया गया है और इसलिये भी कि चूंकि मेरे माननीय मित्र श्री गोविन्द बल्लभ पंत संशोधन संख्या 87 और 88 उपस्थित करने जा रहे हैं इसलिये उनको दृष्टि में रखकर स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक होगा विशेषत: इसलिये कि जिन शब्दों को निकालने का प्रस्ताव था उन्हें अब संशोधन संख्या 87 और 88 द्वारा अनुसूची 7 की सूची 3 में रखा जा रहा है। मुझे आशा है कि यह सभा इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

***माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत:** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं....

***उपाध्यक्ष:** क्या आप तीनों संशोधन उपस्थित कर रहे हैं?

***माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत:** जी हां, श्रीमान्, संशोधन संख्या 84, 87 और 88 । मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"खंड 7 के उपखण्ड (बी) में, प्रांतीय विधायी सूची के प्रस्तावित पैरा 27 में '34 of List I' (सूची 1 का 34) शब्दों के स्थान में '31(A) of List III' [सूची 3 का 31(ए)] शब्द रखे जायें।

"खण्ड 7 के उपखण्ड (सी) में प्रान्तीय विधायी सूची के प्रस्तावित पैरा 29 में '34 of List I' (सूची 1 का 34) शब्दों और अंकों के स्थान में '31 A of List III' (सूची 3 का 31-ए) शब्द और अंक रखे जायें।"

"खण्ड 7 में, अन्त में निम्नलिखित नवीन उपखण्ड प्रविष्ट किया जाये:

'(d) after paragraph 31 of the Concurrent Legislative List the following paragraph shall be inserted as paragraph 31(A):–

31(A). Trade and commerce in, and production, supply and distribution of, products of industries, the

[माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत]

development of which is declared by Dominion law to be expedient in the public interest under paragraph 34 of List I.' "

[(घ) समवर्ती विधायी सूची के पैरा 31 के बाद पैरा 31(ए) के रूप में निम्नलिखित पैरा प्रविष्ट किया जायेगा:

31(ए) ऐसे उद्योग धंधों की वस्तुओं का व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण, जिनका विकास उपनिवेश के कानून के द्वारा सूची 1 के पैरा 34 के अधीन लोकहित के लिये आवश्यक घोषित किया गया हो।] "

श्रीमान्, चारों संशोधन अर्थात् संशोधन संख्या 80, 84, 87 और 88 आपस में सम्बन्धित हैं और इसलिये वे साथ ही स्वीकार होंगे अथवा गिर जायेंगे। इस विधेयक के अनुसार यदि औपनिवेशिक कानून द्वारा यह घोषित किया गया है कि उपनिवेश के नियंत्रण में उद्योग-धन्धों का विकास लोकहित के लिये आवश्यक है तो इन उद्योग-धंधों का नियमन तथा नियंत्रण और इनके सम्बन्ध में व्यापार तथा वाणिज्य (चाहे वह किसी प्रान्त में हो अथवा न हो) तथा इनकी वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय और वितरण सूची 1 में समाविष्ट होना था। अर्थात् इन सभी विषयों को केवल संघीय विधान-मंडल और संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था। इससे बहुत-सी कठिनाइयां और पेचीदगियां उत्पन्न हो जातीं। हम सभी यह समझते हैं कि जहां तक उन उद्योग-धंधों के विकास का सम्बन्ध है जिनके बारे में औपनिवेशिक कानून द्वारा यह घोषित किया गया हो कि लोकहित की दृष्टि से इनका विकास उपनिवेश के नियंत्रण में आवश्यक है, उसका नियमन तथा नियंत्रण केन्द्र द्वारा हो। संघीय विधायी सूची में जो प्रविष्टि है उसके अनुसार ऐसे उद्योग-धंधों का विकास, जिनके बारे मे औपनिवेशिक कानून द्वारा यह घोषित किया गया हो कि लोकहित की दृष्टि से उनका विकास आवश्यक है उस सूची में उल्लिखित है ही और उद्देश्य यह नहीं है कि जहां तक उसका सम्बन्ध है उसमें कोई परिवर्तन किया जाये। किन्तु जैसा कि इस संशोधन द्वारा प्रस्ताव किया गया है, ऐसे उद्योग-धंधों का नियन्त्रण तथा नियमन, संघीय विधान-मंडल के अधिकार क्षेत्र में भी होना चाहिये। इसलिये जहां तक इस खण्ड के पहले दो भागों का सम्बन्ध है वे उसी प्रकार रहेंगे। किन्तु आगे के अंश के सम्बन्ध में अर्थात् व्यापार और वाणिज्य (चाहे वह

किसी प्रान्त में हो अथवा न हो) और इन उद्योग-धंधों की वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के सम्बन्ध में आरम्भ में मैंने जिन संशोधनों की चर्चा की थी उनके द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि ये समवर्ती सूची में सम्मिलित किये जायें और अन्य संशोधनों में तदनुसार परिवर्तन किये जायें। इसलिये मुख्य प्रश्न, जिस पर सभा ने विचार करना है, यह है कि व्यापार और वाणिज्य (चाहे वह किसी प्रान्त में हो अथवा न हो) और ऐसे उद्योग-धंधों की वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय और वितरण इस वर्ग से हटा कर सूची 3 में रखा जाये अथवा नहीं अर्थात् उसे सूची 1 में सम्मिलित करने के बजाय उसे सूची 3 का अंग बना लिया जाये अथवा नहीं।

मेरे विचार से माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि मैंने जिन संशोधनों को प्रस्तावित किया है उनसे मूल खण्ड के उद्देश्य की पूर्ण रूप से पूर्ति होगी और इन विषयों को समवर्ती सूची में सम्मिलित न करने से जो कठिनाइयां और पेचीदगियां पैदा होतीं वे भी दूर होंगी। इनको समवर्ती सूची में सम्मिलित करने से केन्द्र को इन विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। संशोधित रूप में खण्ड 2 के अधीन इन विषयों में से किसी विषय के सम्बन्ध में प्रशासन करने के लिये सीधे-सीधे कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति दी गई है ताकि इन विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र को प्रारम्भिक तथा व्यापक शक्ति प्राप्त हो जाये और यदि वह चाहे तो पूरी शक्ति उसी को प्राप्त हो जाये। मेरा यह निवेदन है कि केन्द्र चाहे जो कुछ करे किन्तु इन विषयों के सम्बन्ध में प्रान्तों के लिये अपनी सीमा के अन्दर फिर भी अनेक प्रकार्य करना आवश्यक होगा। इसलिये यदि इन विषयों को केवल केन्द्र को ही समर्पित किया जायेगा तो प्रान्तों को जो कर्तव्य अवश्य ही करने होंगे उनके पालन की उन्हें स्वतंत्रता प्रान्त न होगी। केन्द्र को हस्तक्षेप की शक्ति प्राप्त होते हुए भी प्रान्तों को कर्त्तव्यपालन की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये इन विषयों को समवर्ती सूची में सम्मिलित करना आवश्यक है और यही मेरा प्रस्ताव है। इस समय भी आवश्यक पदार्थ अधिनियम के सम्बन्ध में केन्द्र साधारणतया कुछ आधारभूत नियमों को बना देता है और शेष प्रान्तों के लिये छोड़ देता है। प्रान्तों में हम लोग

[माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत]

इन विषयों के सम्बन्ध में आज्ञायें देते रहे हैं तथा नियम और आनियम बनाते रहे हैं। आगे चल कर चाहे जो भी स्थिति हो परन्तु फिर भी प्रान्तों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे इन शक्तियों का प्रयोग कर उदाहरणार्थ हम अपने प्रान्त में एक ऐसा विधेयक प्रस्तावित करना चाहते हैं जिससे इमारत बनाने के सामान के वितरण का नियमन हो सके और 25,000 रु. से कम मूल्य की इमारत के लिये इस्पात, लोहा, कोयला इत्यादि न दिया जाये। वह हमारे विचाराधीन है। किन्तु जब तक ये विषय समवर्ती सूची में समाविष्ट नहीं किये जाते, हमें अपने विधान-मंडल में इस प्रकार का विधेयक उपस्थित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं कह चुका हूं, यदि इन विषयों को सूची 1 में स्थान दिया जाये तो केन्द्र इनके सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था न कर सकेगा। इनके लिये बहुत बड़े कर्मचारी-वर्ग की आवश्यकता है और जब तक केन्द्र को इनके सम्बन्ध में प्रान्तों को सक्रिय सहयोग तथा सहायता प्राप्त न होगी वह समुचित व्यवस्था न कर सकेगा। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि आरम्भ में मैंने जिन संशोधनों की चर्चा की है वे इस सभा द्वारा एकमत से स्वीकार कर लिये जायें।

***उपाध्यक्ष:** दो संशोधन ऐसे हैं जिन पर आगे विचार करना आवश्यक है। एक संशोधन अर्थात् संशोधन संख्या 9 मि. नजीरुद्दीन अहमद के नाम से है किन्तु शाब्दिक होने के कारण उसे उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** उस पर मसौदाकारों को विचार करना चाहिये।

***उपाध्यक्ष:** मेरे विचार से वे करेंगे। क्या इस खण्ड पर सामान्य वादानुवाद आवश्यक है?

***माननीय सदस्य:** जी नहीं।

***उपाध्यक्ष:** तब मैं संशोधनों पर एक-एक करके मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 7 के उपखण्ड (ए) में, संघीय विधायी सूची के प्रस्तावित पैरा 34 में से 'trade and commerce (whether or not within a province) in, and production, supply and distribution of, products of such industries' [इस प्रकार के

उद्योग-धंधों की वस्तुओं में व्यापार और वाणिज्य (चाहे वह किसी प्रान्त में हो अथवा न हो) और उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण] शब्द निकाल दिये जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 7 के उपखण्ड (बी) में, प्रान्तीय विधायी सूची के प्रस्तावित पैरा 27 में '34 of List I' (सूची 1 का 34) शब्दों के स्थान में '31(A) of list III' [सूची 3 का 31(ए)] शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 7 के उपखण्ड (सी) में, प्रान्तीय विधायी सूची के प्रस्तावित पैरा 29 में '34 of List I, (सूची 1 का 34) शब्दों और अंकों के स्थान में '31(A) of list III' [सूची 3 का 31(ए)] शब्द और अंक रखे जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 7 में, अन्त में निम्नलिखित नवीन उपखण्ड प्रविष्ट किया जाये:

'(d) after paragraph 31 of the Concurrent Legislative List the following paragraph shall be inserted as paragraph 31(A):–

31(A) Trade and commerce in, and production, supply and distribution of, products of industries, the development of which is declared by Dominion law to be expedient in the public interest under paragraph 34 of List I.'"

[(घ) समवर्ती विधायी सूची के पैरा 31 के बाद पैरा 31 (ए) के रूप में निम्नलिखित पैरा प्रविष्ट किया जायेगा:

31(ए) ऐसे उद्योग धंधों की वस्तुओं का व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण, जिनका विकास उपनिवेश के कानून

[उपाध्यक्ष]

द्वारा सूची 1 के पैरा 34 के अधीन लोक-हित के लिये आवश्यक घोषित किया गया हो।]

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड 1 और लम्बा नाम विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

इस पर एक संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"खण्ड (1) के स्थान में निम्नलिखित खण्ड रखा जाये:

1. (1) यह अधिनियम भारत शासन (संशोधक) अधिनियम, छोटा नाम और आरम्भ। सन् 1949, कहा जाये।

(2) यह 15 जनवरी सन् 1949, को प्रयोग में आयेगा।

श्रीमान्, पहला उपखण्ड इसलिये आवश्यक है कि तिथि में परिवर्तन करना है। दूसरे में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि यह कब प्रयोग में आयेगा। श्रीमान् मैं इसे उपस्थित करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं इस संशोधन पर मत लूंगा प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड (1) के स्थान में निम्नलिखित खण्ड रखा जाये:

1. (1) यह अधिनियम भारत शासन (संशोधक) अधिनियम, छोटा नाम और आरम्भ। सन् 1949, कहा जायें।

(2) यह 15 जनवरी, सन् 1949 को प्रयोग में आयेगा।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"खण्ड (1), संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड (1), संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"लम्बा नाम और प्रस्तावना विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"1 (ए), 2, 3 और 4 खण्डों की क्रमश: 2, 3 4 और 5 के रूप में पुनर्गणना की जाये।"

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"1 (ए), 2, 3 और 4 खण्डों की क्रमश: 2, 3, 4 और 5 के रूप में पुनर्गणना की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"विधेयक, संशोधित रूप में, स्वीकार कर लिया जाये।"

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"विधेयक, संशोधित रूप में, स्वीकार कर लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***उपाध्यक्ष:** अब सभा कल दस बजे तक स्थगित रहेगी।

इसके पश्चात् सभा बृहस्पतिवार 6 जनवरी सन् 1949 के प्रात: दस बजे तक के लिये स्थगित हो गई।